

बिना या प्रतिबंध के साथ खुल गया है तो पोर्ट कारबार से संबद्ध न होनेवाले व्यक्तियों की घुसपैठ के अंतर्गत न आएगा ।

112. अवांछित :- यदि कोई व्यक्ति, परमिट होने पर भी, बोर्ड के परिसरों में या बोर्ड द्वारा समय समय पर बिना या प्रतिबंध के जनसाधारण के लिए खोले गए परिसरों के भागों में ठीक तरह न होने या अवांछित व्यक्ति होने पर तटाने या उसका परमिट की जब्ती का भागी होगा । कोई व्यक्ति जो पुलिस द्वारा लुटेरा के रूप में रिपोर्ट किया जाता है , या सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्मगलर के रूप में या जो फैलनेवालों रोग से ग्रस्त है जिसके संपर्क से दूसरों को भी रोग का प्रसार होने की संभावना है या मुसाफिरों को तंग करने या दुख देनेवालों को उक्त परिसरों से बिना कारण बताए बहिष्कार किए जाएं ।

113. जहाजी अधिकारियों तथा कर्मियों तथा यात्रियों का गमन :- विंकिंगडन आईलन्ड वाफों तथा या एणकुलम चैनल में तेल टैकर बर्थ जेड्डी में बोर्ड परिसरों में से पोर्ट जलयानों के अधिकारियों , कर्मियों या यात्रियों का पार करना घुसपैठ के अंतर्गत नहीं आएगा ।

114. यात्रियों से मिलनेवाले आगन्तुकों का प्रवेश:- जहाजों पर चढ़ने तथा जहाजों से उतरनेवाले यात्रियों से मिलना चढ़नेवाले आगन्तुकों को परिसरों के द्वार पर जारी किए परमिटों के सहारे बोर्ड के परिसरों में प्रवेश किए जाने जा सकते हैं तथा ऐसी परमिटों का धारण करनेवाले व्यक्ति घुसपैठियों के अंतर्गत नहीं आते । परन्तु ऐसी परमिट होने से सीमाशुल्क बारियर तक जाने का हक होता है ।

115. सबूत की जिम्मेदारी :- संबंधित व्यक्तियों पर सबूत की जिम्मेदारी रहेगी कि बोर्ड के परिसरों में उनका कारबार विधिपूर्वक है ।

116. पोर्ट परिसरों में मोटर गाडियां :- यातायात को ध्यान में रखते हुए पोर्ट परिसरों में मोटर गाडियों को सावधानी से चलाना होगा तथा निम्न अन्य शर्तों का भी पालन करना होगा :

(i) मोटर गाडी अधिनियम , 1939 के उपबंधों तथा उनके अंतर्गत बनाए नियमों के अनुसार होनेवाले ऐसी मोटर गाडियां ।

(ii) ऐसी मोटर गाडियां बिना ध्यान दिए नहीं छोड़ा जाना है ।

(iii) ऐसी मोटर गाडियां पोर्ट के मान्य सडकों से साधारणतया गुजर जाएगी ; लेकिन पोर्ट ट्रस्ट या पुलिस अधिकारों द्वारा नियंत्रण के शर्त पर उतराव व चढ़ाव के प्रयोजनार्थ के पर वहन शेडों में तथा खुले भंडारण स्थलों में उनके लिए परमिट दी जाएं ।

(iv) (क) माल का वहन करनेवाली मोटर गाडियां बोर्ड के परिसरों में प्रवेश करते या छोड़ते समय पोर्ट ट्रस्ट या सीमाशुल्क अधिकारियों या द्वार पर कार्यरत पुलिस से जाने की अनुमति मिलने तक वाफ द्वारों पर खड़ी रहेगी तथा उसका चालक तथा उस गाडी में होनेवाली माल का जांच करने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए पृच्छने पर प्रस्तुत करेगा ।

(ख) व्यक्तियों तथा उनके निजी सामान (यदि कोई हो) की सवारी गाडियां वाफ पर बोर्ड के परिसरों में

प्रवेश करते या छोड़ते समय पोर्ट ट्रस्ट या सीमाशुल्क अधिकारियों या द्वार पर कार्यरत पुलिस से जाने की अनुमति मिलने तक द्वार पर खड़ी होंगी ।

(v) यातायात प्रबन्धक की राय में माल के चढ़ाव व उतराव के लिए अपेक्षित समय से ज्यादा बोर्ड के परिसरों में कोई गाड़ी को नहीं खड़ी होनी चाहिए । बेकार घूमना तथा भाड़ा के लिए चलाना निषिद्ध है ।

(vi) यातायात प्रबन्धक से विशेष परमिट लिए बिना कोई गाड़ी अपना टैंक पेट्रोल से या अन्य इंधन से बोर्ड के परिसरों के अन्तर्गत बाफों पर नहीं भरना है ।

117. पोर्ट में फोटो खींचने के लिए अनुमति :- अध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिना पूर्वानुमति लिए पोर्ट का या उसका किसी भाग का फोटो नहीं खींचना है । बशर्ते कि जब ऐसी अनुमति मंजूर की जाती है तो निर्देशानुसार फोटो लिए जाएंगे तथा उसमें विहित शर्तों के अनुसार लिया जाना चाहिए ।

118. कार्य घंटे :- (1) जहाज़ी माल के उतराव व चढ़ाव के प्रयोजनार्थ तथा अन्य कार्य जैसे आयात का प्रेषण तथा निर्यात माल की प्राप्ति के लिए कार्य घंटे समय समय पर बोर्ड द्वारा विहित प्रकार होंगे ।

(2) विक्टिंगडन आईलैंड बाफों तथा एरणकुलम चैनल में तेल टैकर बर्थ जेड्डी के कार्य घंटे फिलहाल सुबह 8 बजे से 12 बजे तक तथा शाम को 1 बजे से 5 बजे तक (बोर्ड द्वारा समय समय पर विहित छुट्टियों तथा रविवारों को छोड़कर) होंगे ।

119. यात्री व अवकाश काम :- (क) मालिक, मास्टर या एजन्ट एवं आयातदाताएं, निर्यातदाताएं या उनकी प्रतिनिधियां जो रात्रि समय या रविवारों या बोर्ड के अवकाश दिनों पर काम करना चाहते हैं ऐसे काम के लिए सीमा शुल्क समाहर्ता से आवश्यक अनुमति पहले ही लेना होगा ।

(ख) बर्थ के बगलों में कार्यरत जलयानों के लिए दिन के समय, रात्रि , रविवारों या अवकाश के दिनों के विश्राम घंटों के दौरान काम करने विषय पर नियमानुसार पहले ही यातायात प्रबन्धक को आवेदन करना चाहिए ताकि उचित रूप से वह कार्यसंचालन के लिए आवश्यक प्रबन्ध कर सकें । दिन के विश्राम घंटों, रात्रि या रविवारों तथा बोर्ड द्वारा विहित अवकाश के दिनों पर काम के लिए समय समय पर बोर्ड द्वारा विहित अवकाश के दिनों पर काम के लिए समय समय पर बोर्ड द्वारा विहित अतिरिक्त दरों का भुगतान करना होगा ।

टिप्पणी :- (i) यातायात प्रबन्धक अपने विवेचन के प्रयोग में जलयानों के मास्टर, मालिक या एजन्टों को कार्यदिवसों पर रात्रि के समय या रविवारों या छुट्टियों पर काम करने, यदि पोर्ट में जलयानों के घुमाव के हितों में ऐसा करना उसकी राय में आवश्यक है तो, निदेश कर सकता है ।

(ii) उक्त प्रयोजनों के लिए कार्य घंटे फिलहाल निम्न प्रकार के होंगे - सभी दिवसों पर रात्रि कार्य- अपराह्न 6 बजे से पूर्वाह्न 5 बजे ।

रविवारों एवं विहित छुट्टियों पर दिवस कार्य - पूर्वाह्न 8 बजे से दुपहर 12 बजे तथा अपराह्न 1 बजे से अपराह्न 5 बजे ।

(ग) 'कार्य घंटों' के अलावा बाकी समय में निर्यात जहाज़ीमाल स्वीकृत न किया जाएगा या आयात

जहाजीमाल विल्लिंगडन आईलन्ड वार्फों से प्रेषण नहीं किया जाएगा नहीं तो विहित फार्म में पहले ही आवेदन करना होगा तथा विषय पर नियमों के अनुसार समयोपरि शुल्क का भुगतान करना होगा ।

120. प्रभारों को वापस करना :- (क) महा पतन न्यास अधिनियम, 1963 के अंतर्गत लगाया किसी टोल, बकाया, किराया, दर या प्रभार की वापसी के बारे में दावे ऐसे टोल, बकाया, किराया, दर या प्रभार की तारीख से या उसके लिए उधार किया गया तारीख से छः महीनों के अंतर्गत लिखित पूर्वक देना होगा । दावा सभी समर्थक प्रयोगों के साथ प्रलेखन के साथ होना चाहिए । समर्थक प्रलेखों के अभाव में दावा बोर्ड द्वारा नामंजूर की जाएगी, बशर्ते कि यदि बोर्ड इस पर संतुष्ट है कि ऐसे प्रलेखों को प्रस्तुत करने में पार्टी उचित कारणवश असमर्थ है बोर्ड अपने विवेचानुसार ऐसे प्रलेखों को प्रस्तुत करने में उचित समय, जो ऐसे समझें, मंजूर किया जा सकें ।

(ख) एक रूपये से कम राशि की वापसी के लिए दावे, चाहे पृथक रूप से करें या अन्य दावों के साथ करें पर, किसी परिस्थितियों में ध्यान नहीं दिया जाएगा परन्तु बोर्ड कर्मचारी के कारण हुई त्रुटी से उत्पन्न दावे पर ध्यान दिया जाएगा ।

121. सीमाशुल्क परीक्षा आदि के प्रयोजनार्थ पार्सलों के खोलने (तथा मरम्मत) के लिए विल्लिंगडन आईलन्ड वार्फ आदि बोर्ड परिसरों में बोर्ड द्वारा प्राधिकृत मरम्मतवालों को आने देना :- (i) सीमाशुल्क परीक्षा या मालिकों के अनुसार अन्य प्रयोजनों के लिए विल्लिंगडन आईलन्ड वार्फों में बोर्ड के परिसरों में पार्सलों को खोलने (तथा मरम्मत करने) मरम्मत करनेवालों के रूप में प्राधिकृत व्यक्तियों को यातायात प्रबन्धक के सिफारिश पर सुरक्षा अधिकारी फोटोपास जारी कर सकता है तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए किसी अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों को नहीं लगाना चाहिए या किसी न किसी बहाने ऐसे प्रयोजनों के लिए किसी बर्द्ध के साधनों या अन्य उपकरणों का वहन करने नहीं देना चाहिए ।

(ii) पूरा नाम, पता, उम्र तथा पहचान चिह्नों के साथ अपने अपने नियोक्ताओं द्वारा आवेदन यातायात प्रबन्धक को प्रस्तुत करने पर यातायात प्रबन्धक अपने सिफारिश के साथ ऐसे आवेदनों को, जो उसकी राय में उचित अहो, सुरक्षा अधिकारी के पास अग्रेषित करेगा । तब सुरक्षा अधिकारी प्रति वर्ष या उसके अंशकाल के लिए दस रूपये प्रति फोटोपास लाईसेंस शुल्क की अदायगी पर फोटोपास के साथ प्राधिकृत मरम्मत करनेवालों का प्रबन्ध करेगा । एक पंचांग वर्ष के लिए फोटोपास मान्य होगा । फोटोपास के नवीकरण के लिए आवेदन मान्यता अवधि की समाप्ति तारीख से कम से कम सात दिनों के पहले यातायात प्रबन्धक को प्रस्तुत करना होगा । यातायात प्रबन्धक की सिफारिश पर सुरक्षा अधिकारी प्रतिवर्ष प्रति फोटोपास पाँच रूपये के लाईसेंस नवीकरण शुल्क की अदायगी पर फोटोपास की मान्यता अवधि बढ़ाने का प्रबन्ध करेगा ।

(iii) मरम्मत करनेवाले न होनेवाले पार्टियों के लिए उनकी सेवाएं उपलब्ध होने के लिए यातायात प्रबन्धक द्वारा अन्य व्यक्ति भी लोक मरम्मत करनेवालों के रूप में (वाणिज्य मंडल की सिफारिश पर) काम करने प्राधिकृत किए जा सकते हैं । ऐसे व्यक्ति अपने आवेदन उक्त प्रकार अपने अपने वाणिज्य मंडल द्वारा प्रस्तुत करना है तथा उक्त प्रकार मूल्य चुकाने पर फोटोपास जारी किए जाएंगे ।

(iv) वार्फ परिसरों में मरम्मत करने के कार्य पर होते समय वार्फ अधिकारों या सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा पूछने पर हमेशा मरम्मत करनेवाले फोटोपासों को दिखाने में तैयार होना है ।

(v) शेड अप्रैसर या सीमा शुल्क विभाग के परीक्षक के प्राधिकार के बिना ट्रान्सिट शेड या अन्य वार्फ परिसरों में किसी पैकेज को नहीं खोलना चाहिए ।

(vi) फोटोपास स्थान परिवर्तन करने योग्य नहीं है ।

(vii) स्टीमर एजन्ट, आयातकर्ता, निर्यातकर्ता तथा निकासी एजन्ट द्वारा नियुक्त मरम्मत करनेवालों के संदर्भ में वे, वाणिज्य मंडल के सिफारिशों पर प्राधिकृत मरम्मत करनेवालों के संदर्भ में वे मरम्मत करनेवालों के सदाचार के लिए उत्तरदायी हैं ।

(viii) फोटोपास के खो जाने पर तुरंत अपने नियोक्ता या वाणिज्य मंडल द्वारा यातायात प्रबन्धक को लिखित रूप में सूचित करना चाहिए । यातायात प्रबन्धक अपने आप मामले की परिस्थितियों से संतुष्ट हो जाने के बाद दूसरी फोटोपास जारी करने के संबंध में अपना सिफारिश सुरक्षा अधिकारी को करेगा जो जारी किया प्रत्येक दूसरी फोटोपास के लिए 200/- रुपये वसूल करने पर जारी करने का प्रबन्ध करेगा ।

(ix) मरम्मत करनेवालों का वाफ़ परिसरों में प्रवेश विषय पर नियमों के अनुसार होगा तथा मरम्मत करनेवाला फोटोपास का धारण करने मात्र में वाफ़ परिसरों आदि में प्रवेश करने का हक न होगा ।

(x) कोई कारण बिना बताए मरम्मत करनेवालों के रूप में काम करने के लिए कोई व्यक्ति या व्यक्तियों को दिया प्राधिकरण वापस लेने या आवेदन का स्वीकार या अस्वीकार करने का हक बोर्ड के पास आरक्षित है । इस विषय पर बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा ।

122. फेरीवालों को लाईसेंस जारी करना :- विनियम 110 में हवाला दिए बोर्ड परिसरों के अन्तर्गत या पोर्ट परिसरों के किसी भाग में, जो समय समय बोर्ड द्वारा जन साधारण के लिए प्रतिबंध के साथ या बिना प्रतिबंध खुले जाते हैं या अध्यक्ष या इस अवसर इसके द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा लाईसेंस के बिना कोई व्यक्ति माल नहीं बेचना है । इस प्रयोजनार्थ अध्यक्ष या अन्य प्राधिकृत अधिकारी अनुमोदित व्यक्तियों को लाईसेंस जारी करें (समय समय पर विहित शर्तों के अनुसार) । ऐसे लाईसेंस हर वर्ष नवीकरण किए जा सकते हैं, बशर्तकि विनियम 110 में बताए परिसरों में या किसी जलयान के बोर्ड पर माल बेचने ऐसे व्यक्ति पहले सीमाशुल्क समाहर्ता से विहित अनुमोदन पहले प्राप्त करना है । परन्तु ऐसे लाईसेंस का धारण करना किसी जलयान के मास्टर, मालिक या एजेंट की अनुमति के बिना जलयान के बोर्ड पर चढ़ने का हक प्रदान नहीं करता ।

123. टूटों व हाथगाड़ियों को हटाना :- माल से भरे टूटों व हाथगाड़ियों को, जो वाफ़ परिसरों से तुरंत नहीं बाहर ले गई है, माल के मालिकों के खर्च तथा जोखिम पर यातायात प्रबन्धक द्वारा हटायी जाएगी तथा व्यापारियों व अन्यो से संबंधित टूटों व हाथगाड़ियों को जो वाफ़ों, जेड़ियों या के में पड़ी हुई है, हटायी जाएगी तथा ऐसी गाड़ियों को हटाने व संरक्षण में रखने का प्रभार व्यापारियों तथा अन्यो से यातायात प्रबन्धक द्वारा वसूल किए जाएंगे ।

124. बोर्ड की किसी संपत्ति का नष्ट करना या नाश करना :- कोई व्यक्ति जो किसी मूरिंग, रस्सी, जंजीर, लाईफबोर्ड, लाईफलाईन या प्राण रक्षण उपकरणों या बोर्ड के किसी बोर्ड रस्सी या केबिल का या किसी संपत्ति का काटना, रूप बदलना या क्षति पहुँचाने से दंड के अलावा नुकसान, मरम्मत तथा वसूली के लिए अपेक्षित राशि का भुगतान करना पड़ेगा ।

125. रुकावट अधिकारी :- बोर्ड के कोई कर्मचारी अपना कर्तव्य निभाने में विघ्न करना, रुकावट डालना, बाधा डालना, विरोध करना, आक्रमण करना, सताना नहीं चाहिए या प्रयत्न नहीं करना चाहिए या उसके विधि आदेशों का तिरस्कार करना या गाली देना दूसरों को ऐसे करने में नहीं उकसाना चाहिए ।

126. पोर्ट निकासी का विषय :- (क) पोर्ट छोड़ना चाहनेवाला हर जलयान के मास्टर, मालिक या एजेंट काफी समय पहले उप संरक्षक को आवेदन करना चाहिए तथा उसपर उप संरक्षक ऐसी जलयान को पोर्ट निकासी मंजूर

करेगा बशर्ते कि जलयान द्वारा बोर्ड को देय प्रभारों के भुगतान न करने से या कोई अन्य कारणवश पोर्ट में जलयान को रोक रखना आवश्यक होने पर बोर्ड को बकाया प्रभार चुकाने तक या जिन कारणों के लिए जलयान रोका गया है, उप संरक्षक की संतुष्टि के अनुसार ठीक हो जाने तक निकासी प्रमाण पत्र जारी करने में तिरस्कार करें। तथा यदि निकासी पहले ही जारी की गई है तो, उप संरक्षक उक्त संदर्भ में उसी का रद्द कर सकता है तथा आवेदक को सूचित कर सकता है कि बोर्ड को देय प्रभारों का भुगतान करने या जिन कारणवश जलयान रोक रखा गया है उप संरक्षक की संतुष्टि के अनुसार ठीक होने के बाद नया निकासी प्रमाण पत्र मिलने तक जलयान को पोर्ट न छोड़ने देगा।

(ख) उप संरक्षक द्वारा विधिवत् जारी किया निकासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने तक सीमाशुल्क विभाग पोर्ट निकासी मंजूर नहीं करेगा।

127. कचे आदि पर अस्थायी आहाता का निर्माण हो जाएं :- (1) पोर्ट के अंदर कोई बार्फ, पयर, कचे या उतराव स्थान जहाँ समुद्र द्वारा यात्री या फौज या घोड़ों या अन्य जानवर चढ़ते या उतरते हैं, यात्रियों, फौज या घोड़ों या अन्य जानवरों के उतराव व चढ़ाव के लिए उपयोगित जगह के निकट आने में लोगों का निरोध करने के प्रयोजनार्थ आहाता का निर्माण किया जाएं।

(2) बोर्ड निर्देशों के अनुसार यातायात प्रबन्धक ऐसे आहातों पर सूचना चिपकाएगा जो अस्थायी हो या स्थायी हो तथा जलयानी या फौज या घोड़ों व अन्य जानवरों के उतराव व चढ़ाव के समय आहातों अंदर बोर्ड के अधिकारियों या लाईसेंस प्राप्त कूलियों या कर्मचारियों को या यात्री, फौज या उनके नौकरों या घोड़ों व अन्य जानवरों के उतराव व चढ़ाव में रत व्यक्तियों को छोड़कर प्रत्येक संदर्भ में या स्थायी रूप से निषिद्ध किए जाएं।

128. धूम्रपान करना :- निश्चित जगहों को छोड़कर बाकि स्थलों में धूम्रपान करना तथा पोर्ट के अन्तर्गत किसी शेड, गोदाम, पयर या के में दिया जलाना या आग लगाना सख्ती से निषिद्ध है तथा किसी जलयान के परिसरों में या किसी पयर, के या बोर्ड पर दिया का प्रदर्शन करना या ज्वलनशील वस्तुओं, दियासलाई को जलाना या धूम्रपान करना निषिद्ध है।

129. बोर्ड जलयानों पर आग की उपयोगिता :- मुख्य यंत्रों के लिए डोंकी यंत्र, भाप विचों तथा जलयान बोयलरों के लिए बोर्ड जलयानों पर कोल, चाकॉल या कोक का इस्तेमाल किए जाएं।

बहनीय भट्टियों के लिए कार्यघंटों में मात्र आग के लिए मंजूरी दी जाती है तथा उन्हें ऐसा ही नहीं छोड़ना चाहिए। ज्वलनशील माल तथा विस्फोटों का बहन करनेवाले किसी बोट, बार्ज या देशी यान पर आग लगाना पूर्णतया निषिद्ध है।

130. बोर्ड जलयानों पर दीपों का इस्तेमाल :- पोर्ट में बोर्ड जलयानों पर उपयोगित सभी दिया चाहे तेल लेम्प को या मोमकण्ठी ग्लोबों में या सुरक्षित लालटेनों में रखना होगा। जलयानों के यंत्रों व बोयलरों में मात्र गंगा दिशों का इस्तेमाल

किया जाए जो उससे संबद्ध कर्तव्यों या मरम्मत तथा निरीक्षण के अन्तर्गत खो जाएं ।

131. जलयानों के बोर्ड पर आग व दिया का प्रभार :- जलयान के बोर्ड पर कोई आग या दिया का विशेष देखभाल करने में कम से कम एक व्यक्ति होना है तथा पोर्ट के जलयानों, संपत्ति, माल का ज्वलन होने या सुरक्षा को खतरे में डालने की रीति में असावधानी, लापरवाही से किसी आग या दिया को न छोड़ना चाहिए ।

132. विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत बोर्ड जलयानों पर आग का प्रयोग :- बार्फ में किसी न किसी जलयान के बोर्ड पर आग का प्रयोग करने विशेष अनुमति के लिए सभी आवेदन अपराह्न 5.30 के पहले उप संरक्षक को लिखित रूप में भेजना होगा ; यदि मंजूर हुआ तो उप संरक्षक द्वारा पृष्ठांकन हो जाने के बाद आग का प्रभारी व्यक्ति के पास आवेदन रखा जाएगा, तथा पूछने पर बार्फ व पुलिस अधिकारियों को दिखाया जाएगा ।

133. जलयानों में पोर्ट तथा पुलिस अधिकारियों की प्रवेश योग्यता :- पोर्ट में जलयानों तथा उनके सभी भागों को भुक्त करना चाहिए तथा आग व दिया से संबन्धित प्रयोजनों के लिए निरीक्षणार्थ पुलिस अधिकारियों के लिए प्रवेश योग्य बनाना चाहिए तथा इन विनिर्मा के विरुद्ध कोई आग या दिया को बुझाने के लिए सुरक्षा विभाग या आग सेवा के सदस्य या कोई पुलिस अधिकारी के कोई आदेश का तिरस्कार न करना चाहिए ।

134. कतिपय परिस्थितियों में माल को हुआ नुकसान के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं :- अपने नियंत्रण में न होनेवाली परिस्थितियों में आग या आग को बुझाने में उपयोगित पानी, बर्मिन, अन्य अपरिहार्य कारणवश माल को हुआ नुकसान या क्षति के लिए बोर्ड उत्तरदायी न होगा ।

135. माल के भंडारण के लिए जगह देने में बोर्ड उत्तरदायी नहीं :- अपने गोदामों में या खुले कोई माल के भंडारण के लिए मंजूर न करने का हक बोर्ड के पास होगा ।

136. दंड :- महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में स्पष्टतः दंड के लिए उपबंध होने के अलावा इन विनियमों का भंग करने से एक हजार रुपये दंड होगा तथा जब भंग अविच्छिन्न होता रहता है, हर दिवस के लिए एक सौ रुपये तक आगे जुमाना लगाया जा सकता है ।

137. स्पष्टीकरण :- इन विनियमों के स्पष्टीकरण से संबन्धित कोई प्रश्न उठने पर, मामला बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया जाएगा तथा बोर्ड ही इस पर निर्णय लेगा ।

(विनियम 78 (2) देखिए)

निर्यात आवेदन

सेवा में

यातायात प्रबन्धक,

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

महोदय,

कृपया पोर्ट को बाध्य निम्नलिखित मालों को एस.एस/एम.वी. जहाज में निपटाइए

पोर्ट का नाम : कोचिन एजन्ट या चार्टर का नाम.....

वेसल का नाम *
शिपिंग लाइन का नाम.....

ध्वज की राष्ट्रीयता.....

क्र. सं.	पोर्ट का नाम	वेसल का नाम	शिपिंग लाइन का नाम	ध्वज की राष्ट्रीयता	एजन्ट या चार्टर का नाम	पहुँचनेवाले पोर्ट एवं देश	प्राथमिक पदार्थ	द्वितीयक पदार्थ	तृतीयक पदार्थ	चतुर्थक पदार्थ	पाँचवाँ पदार्थ	षष्ठक पदार्थ	सप्तक पदार्थ	अष्टक पदार्थ	नवक पदार्थ	दशक पदार्थ	कुल	
																		देश
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		

लिपिक के आध्यक्ष

कोचिन पोर्ट ने रुपये की रकम प्राप्त की है (रु. पैसे) के कृते पर प्राधिकृत किया गया है ।

दिनांक.....19.....

प्रोफ के आध्यक्ष

लिपिक के आध्यक्ष

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

हस्ताक्षर

* वेसल स्टीमर, यात्री जहाज, टैंकर या कोल्लियर है यह स्पष्टतया व्यक्त करना है ।

परिशिष्ट "बी"

(विनियम 85 (क) देखिए)

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

आयात कार्गो के लिए रसीद

संख्या.

प्रेसर्स..... एजन्ट्स द्वारा कोचिन पोर्ट से निम्न पाल, कस्तुर एवं अनजाने कस्तुर की स्थिति के पोटर/स्टीम जहाज संख्या.
 से के दिन/रात..... के दौरान आनेवाले । गैंग नं द्वारा कस्तुर विया

गया कार्गो ।

क्यू. 1, क्यू. 2, क्यू. 3, क्यू. 4 / क्यू. 5, क्यू. 6, क्यू. 7, क्यू. 8 पर

कैली

बी टी पी बोटिंग

हाच संख्या. जैन/इरिक

विवरण	पाकेज का विवरण	पाकेज की संख्या, एक अनुभाग में 5 स्ट्रोक - टाली बे-अंकित पाकेज	कुल	भार			टिप्पणी	
				टन	कि. ग्राम	ग्राम		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
निष्कर्ष समय	एच.एम. से							
	एच.एम. तक							

एजन्ट के टाली क्लर्क

पोर्ट के शोड क्लर्क

वार्क अधीक्षक

परिशिष्ट "सी"

(विनियम 85 (क) देखिए)

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

आयात कार्गो के लिए रसीद

(टूटा या बिगड़ा पाकेज)

संख्या.

नेसर्स..... से एजन्ट्स द्वारा कोचिन पोर्ट से निम्न माल, कस्तु एवं अनजाने कस्तु की स्थिति के पोटर/स्टीम बहाज
 क्यू 1, क्यू 2, क्यू 3, क्यू 4 / क्यू 5, क्यू 6, क्यू 7, क्यू 8 पर के दिन/रात..... के दौरान अनेवाले । गैंग नं द्वारा हस्तगत किया

गया कार्गो ।

क्यू 1, क्यू 2, क्यू 3, क्यू 4 / क्यू 5, क्यू 6, क्यू 7, क्यू 8 पर केबी वी डी पी चोटिंग

हाव संख्या क्रम/हरिक

विवरण	पाकेज का विवरण	पाकेज की संख्या, एक अनुभाग में 5 स्ट्रोक-डाली वे-अंकित पाकेज	कुल	भार			टिप्पणी	
				टन	कि.ग्राम	ग्राम		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
निष्कर्ष सम्बन्ध	एच.एम. से एच.एम.तक							

एजन्ट के डाली बलक

पोर्ट के शोड क्लर्क

वार्क अधीक्षक

परिशिष्ट “ डी ”
(विनियम 85 (क) देखिए)
कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

आयात कार्गो के लिए रसीद (शराब)

नेसर्स संख्या.
 कार्गो का विवरण एन्ट्रेस द्वारा कोचिन पोर्ट से निम्न मात, कस्तु एवं अमवाने कस्तु की स्थिति के मोटर/स्टीम जहाज
 पर के दिनांक/एत के दौरान आनेवाले । गैंग नं द्वारा हस्तगत किया
 हुआ संख्या क्षेत्र/इरीक

गया कार्गो ।
 क्यू पर पैकी बोदिंग
 हुआ संख्या क्षेत्र/इरीक

क्र. सं.	पाकेज का विवरण	पाकेज की संख्या, एक अनुभाग में S स्ट्रॉक-टाली बे-अंकित पाकेज	कुल	टनों में भार	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
निष्कर्ष समय	एच. एम. से एच. एम. तक				

टिप्पणी:- माल लोकफास्ट/ट्रान्सिस्ट शोड में निकासी करने के समय तक स्टीमर एजन्ट्स के देखभाल में होंगे तथा कस्तु की भति या कमी के लिए किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व पोर्ट स्वीकार नहीं करेगा ।

एन्ट्रेस के टाली क्लर्क पोर्ट के शोड क्लर्क वार्क अधीशक

परिशिष्ट "ई"

रबिस्ट्र सं

(विनियम 89 देखिए)

आयात आवेदन

सेवा में

यातायात प्रबंधक,
कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

महोदय,

पोर्ट से आया एस एस /एम वी से उतराव हुआ निम्नलिखित माल को कृपया स्वीकार करें।

पोर्ट का नाम : कोचिन		एजन्ट या चार्टरर का नाम		आयातकर्ता का नाम	
जलयान * का नाम		बंडा की राष्ट्रियता			
नौवहन लाइन का नाम		पोतल- दान का पोत व देश			
क्र.सं.	विवरण	क्र.सं.	विवरण	क्र.सं.	विवरण
1		2		3	
		4		5	
		6		7	
		8		9	
		10		11	
		12		13	
		14		15	
		16			
			कुल		

लिपिक के आक्षेप

कोचिन पोर्टकी ओर से कार्य करने विधिक प्रधिकृत (रु.रुपयेरुपये)

दिनांक200...

प्रोफ के आक्षेप

लिपिक के आक्षेप एवं मुख्य लेखा अधिकारी

हस्ताक्षर

* यह स्पष्टतः बताना होगा कि जलयान स्टीपर, समुद्रयात्रा जलयान, टैंकर या कोलियर यान हो।

परिशिष्ट “एफ”
(विनियम 99 (1) देखिए)

खतरनाक माल तथा विस्फोटकों , जो विनियम संख्या 99 के अन्तर्गत बार्फ परिसरों में प्रवेश नहीं किए जाते कि निम्न सूची जलयान के मास्टर्स व मालिकों तथा ट्रस्ट अधिकारियों के सूचनार्थ घुसाई जाती है ।

ए. 2. मोनोबेल
एतिलीन
अलुमेटोल
अमटोल
एम्बराइट सं. 1
एम्बराइट सं. 2
अमोनाइट
अम्युनिष्यन
अम्बीस
अरडीर गेलिंगनाइट
अरकाइट
बालिस्टी
बेलाइट
ब्लास्टिंग एम्बराइट
ब्लास्टिंग जेलाटिन
ब्लास्टिंग मटागनाइटींग
बॉम्ब , फिल्ड
सी. एल. चूर्ण
काल्सियम फोसफाइट
काल्सियम फोसफाइड
कांबराइट सं .2
कामफराइटड जलाटिन
योमबती, धूम्र, ग्रौंड मार्क II
कानोनाइट

कारबाइड ओफ काल्सियम *

कारबो जलाटिन

कारबोनाइड्स

केनन शेल, छानों के विस्फोटन आदि के लिए कार्ट्रिजजस तथा चार्ज

सुरक्षा कार्ट्रिजज न होने वाले छोटे हथियारों के लिए कार्ट्रिजजस

कार्ट्रिजजस सिगनल

छिलवर्त धूम्रहीन चूर्ण सं. 2

बलॉरिट मिश्रण

बलॉरिट तथा नैट्रजन का अयोडैड

कोल्लोडिन

कोल्लोडिन कोटन

कूपल का चूर्ण

कोरडेट

कोरडेट, एम.डी.

* विनियम संख्या. 104 तथा 105 के अनुसार प्रवेश किए जाएं ।

डामनैट ए

डेटोनेटर्स

डैनामिट

डैनोबल सं. 2

डैनोबल सं 3 एवं 4

डैनोबल निर्यात सं. 3

ई.सी. चूर्ण कंपनी का रैफिल चूर्ण जेबी पेटेन्ज

ई.सी. स्पोर्टिंग चूर्ण

मितव्ययी धूम्रहीन स्पोर्टिंग चूर्ण

विद्युत डैनोटोर्स

विद्युत फ्यूज

विद्युत प्राइमेर्स

इलक्ट्रोनाइट सं. 1

इलक्ट्रोनाइट सं. 2

एले धूम्रहीन स्पोर्टिंग चूर्ण

एमराल्ट चूर्ण

एम्पायर चूर्ण

फार्मैस डाइनामिट

फेवरषम चूर्ण
 भरा घेल
 फिल्मस- रही या नैट्रट बेस की व्यर्थ वस्तु
 फ्लेयर पैराचूट
 फोरटिस विस्फोट सं. 1
 फोरटिस विस्फोट सं. 2
 फोरटिसिन
 फ्रान्केट
 फ्रिकशन ट्यूबस
 फुलमेन चूर्ण
 फुलामिनेट आफ मरकुरी
 फुलामिनेटस
 फ्यूज लाइटेर्स
 गतार्सट चूर्ण
 जलॉटिन डाइनामिट
 जलॉटिन पैमेर्स
 जेलिंगनेस
 ग्रीनेर्स चूर्ण
 ग्रनेडस, हाथ भरा
 ग्रनेडस, हाथ से या रैफिल्स से भरा
 ग्रनेडस, रैफिल्स से भरा
 प्राइमर के रूप में शुष्क गण कोटन
 गीली गण कोटन
 गण कोटन, यार्ड
 गणपाऊडर
 ऐडियल चूर्ण
 इगनेटेर्स सुरक्षा फ्यूज
 इंपीरियल शुल्टैज गण पाऊडर
 इनस्टन्टेनियस फ्यूज
 काइनाइट
 काइनोक का धूम्रहीन स्पोर्टिंग पूर्ण
 लाइट लोड धूम्रहीन
 लाइट सिगनल्स

लाइटनिंग पाऊंडर
 लिती फ्राक्टयुर
 लिडाइट
 मटागनेट जलाटेन
 मिलिटरी विद्युत ट्यूब्स
 मोनोबेल सं. 1
 एन.एस. धूम्रहीन
 नीग्रो चूर्ण सं. 2
 नियोनाइट
 डियाजो बनसोल का नैट्र
 नैट्रड गण कोटन
 नाइट्रो क्लिसरिन
 नोबल अरडीर चूर्ण
 नोबल का विशेष चूर्ण
 सामान्य धूम्रहीन चूर्ण
 ओयरे चूर्ण
 ओरायट
 ओक्सालाइट ब्लास्टिंग चूर्ण
 प्रेमब्राइट
 फोसफोन
 फोसफरस
 फोसफरस अमोरफस*
 फोसफर्स सलफाइट*
 पाइरेटस
 पिक्रिक चूर्ण
 पीजियन का मिलिटरी धूम्रहीन चूर्ण
 पीजियन का स्पोर्टिंग धूम्रहीन चूर्ण
 पोर्ट फायर
 पोटन्टाइट
 क्लिक फायरिंग अम्युनैशन
 क्लिक माच
 रेलवे फ्लेयर लाइट*
 बमों के लिए रिले

रेभिगटन डेन्स चूर्ण
 रेक्साइट
 राइफिल गण कोटन
 रिफ्लाइट
 रिप्लीन
 रोब्राइट
 बार रोकेर्स
 रोसलिन ब्लास्टाइट
 रोसलिन धूम्रहीन चूर्ण
 रूबी चूर्ण
 सामसोनइट
 सो डस्ट तथा गण कोटन चूर्ण
 शुल्ज ब्लास्टिंग चूर्ण
 शुल्ज गण चूर्ण
 विस्फोटक होनेवाले टोरपेडोस व शेल
 भरा व फ्यूज किया शेल
 सिगनल, मोटोर धूम्र
 स्मोक बाल्स
 धूम्ररहित ब्लास्टिंग चूर्ण

- विनियम सं. 104 व 105 के अनुसार प्रवेश किए जाएं

धूम्ररहित डैमन्ड
 धूम्ररहित चूर्ण
 स्टारबेल
 स्टोनाइट
 स्टोमार्केट चूर्ण
 स्टोमार्केट धूम्ररहित
 टेरिबाइन या सनड्रायर्स
 टोनाइट या कोटन चूर्ण
 टोनाइट
 ट्राइट्रो - टोलूल (ट्राटैल)
 ट्राइसडोफ धूम्ररहित चूर्ण
 विस्फोटक फोडने के लिए ट्यूब
 विक्टर चूर्ण संख्या. 2


वैकिंग (निर्यात) सं. 1
 वैकिंग (निर्यात) सं. 2
 वैकिंग चूर्ण सं. 1
 वैकिंग चूर्ण सं. 2
 वोन फोरस्टेर्स का धूम्ररहित चूर्ण
 वालस्ट्रोइड चूर्ण
 वार राकेट
 वेस्टफ्लाइट सं. 1
 वेस्टफ्लाइट सं. 2
 साइलोइडिन या नैट्रो-स्ट्राक पाइरोसिलिन

परिशिष्ट “ जी ”

(विनियम 102 देखिए)

विनियम 102 के प्रचालन से विस्फोटक नियम, 1940 की अनुसूची 1 की श्रेणी सं. 7 के प्रभाग में निर्वाचित प्रकार तैयार किए फाइवरकंक्स हटाए गए ।

अलूमिनियम मैक्स
 अलूमिनियम टोरक्स
 ब्रिलियन्ट स्टार मैक्स
 चैनीस क्रैकेस
 कलेर्ड फायर
 विद्युत स्पार्कलर केंडिल्स
 गेलडा स्पार्कलर
 माजिक केन्डिल
 माजिक वाइर
 भगनीशियम टोरक्स
 मीटर माक्स
 सिलब्रास स्पार्कलर
 स्टार माक्स
 वन्डर केन्डिल्स



परिशिष्ट "एच"

विनियम 106 (ए) (i) देखें

जहर की सूची

भाग I

आलकलोइड्स, जहरीली तथा उनके नामक
 अमिलैन (अमिलैन तेल, फोनेलअमिलिन, अभिनोबेनजोन)
 अमिलैन (हाइड्रोक्लोराइड (अमिलैन क्लोराइड, अमिलैन साल्ट)
 आन्टिमणी लाक्टेट
 आन्टिमणी पोटैसियम टेट्राइड (टारटार एमिटिक)
 आन्टिमणी सल्फाइड
 आरसेनिक आसिड, द्रव
 आरसेनिक ब्रोमाइड
 आरसेनिक कोपौन्ड, द्रव आरसेनेट, आरसानाइड्स,
 सल्फाइड्स तथा आरसेनिक ओरगानिक कोपौन्डों को अन्यथा निर्दिष्ट को मिलाकर
 आरसेनिक कोपौन्ड घन आरसेनेट, आरसानाइड, सल्फाइड तथा आरसेनिक ओरगानिक कोपौन्डों को अन्यथा निर्दिष्ट को मिलाकर
 आरसेनिक मेटल
 आरसेनिक पेन्टोक्साइड
 आरसेनिक ट्रक्लोराइड (आरसेनिक क्लोराइड, आरसेनाइड्स क्लोराइड, आरसेनिक बट्टर, कास्टिक आरसेनिक क्लोराइड, कास्टिक
 तेल या आरसेनिक, फ्यूमिंग लिक्विड आरसेनिक)
 आरसेनिक ट्रायोडाइड (वैट आरसेनिक)
 आरसेनिकल डस्ट (आरसेनिकल फ्लूडस्ट)
 बेरियम कोपौंड, बेरियम सल्फेट को अन्यथा निर्दिष्ट को छोड़कर
 बेरियम साइनाइड
 बेरिलियम कोपौन्ड
 कोकोडाइलिक आसिड (डाइमीतैलआरसेनिक आसिड)
 काल्सियम साइनाइड
 क्लोरोडैनाइट्रोबेन्सीन (डैनाइट्रोक्लोरोबेन्सीन)
 *क्लोरोपथोसिन (ट्राइक्लोरोक्साइट्रोमीतैन)
 क्लोरो-ओरतो टोल्यूडिन
 कोप्पर साइनाइड
 साइनाइड, फेरीसाइनाइड तथा फेरोसाइनाइड को अन्यथा निर्दिष्ट को मिलाकर
 ओ- डैक्लोरोबेन्सीन
 पी- डैक्लोरोबेन्सीन
 डिसक्लोरोमीतैन (मेथिलीन क्लोराइड)
 डिसथैल सल्फेट (ईतैल सल्फेट)
 डैमीतैल सल्फेट (मीतैल सल्फेट)
 डैनाइट्रोबेन्सीन (उदा: मेटाडैनाइट्रो बेन्सीन)
 डैनाइट्रो-ओरतो - एरोसोल
 डैनाइट्रोतुसनस, द्रव
 संक्रमणकारी यदि जहरीली वस्तु समृद्ध अनुपात में हुई तो (सक्रिय मौलिक संकट के अनुसार)

फॉगसाइटम (मन्त्रिय मैलिक सक्ट के अनुसार)

हालोजनेट्स उत्तेजक द्रव वस्तु (उदा:- मीथिल ब्रोमोअसिटोन)

हाइड्रोसाइनिक आसिड द्रव जो भार से 4 प्रतिशत हाइड्रोसाइनिक आसिड से ज्यादा न हो ।

हाइड्रोजन साइनाइड, अनहैड्रस, स्टबिलाइसड (हाइड्रोसाइनिक आसिड, प्रूसिक आसिड)

कीटनाशी, घन जो 65° सेन्टीग्रेड से ज्यादा प्रज्वलन ताप होनेवाला द्रव या संपीडित गैस के अंतर्गत

लेड आरसेनेट

लेड आरसनाइट

लेड साइनाइड

मेरकुरिक क्लोराइड, सब्लिमेइट, मेरकुरी बैक्लोराइड

मेरकुरिक नेट्ट, मेरकुरस नेट्ट

मेरकुरस सल्फेट

मेरकुरी अस्सेट

मेरकुरी अमोणियम क्लोराइड

मेरकुरी बेनसोएट

मेरकुरी बैक्लोराइड ("मेरकुरिक क्लोराइड " देखें)

मेरकुरी बैसल्फेट

मेरकुरी ब्रोमाइड

मेरकुरी क्लोपाउन्डस, मेरकुरस क्लोराइड को छोड़कर अन्यथा विनिक्रिट न हो ।

मेरकुरी साइनाइड

मेरकुरी ग्लूकोनेट

मेरकुरी अयोडाइड

मेरकुरी नूविलियेट (मेरकुरोल)

मेरकुरी ओलियेट

मेरकुरी ओवसाइड

मेरकुरी एबसीसाइनाइड

मेरकुरी फोर्टासियमायोडाइड

मेरकुरी सालिसिलेट

मेरकुरी तयोसाइनेट

मॉटार इधन आन्टी नाक क्लोपाउन्डस (इतोल फ्लूइड)

नाफ्ताइलिटिरिया

नाफ्ताइलूरिया

निक्कल साइनाइड

निक्कोटिन

निक्कोटिन क्लोपाउन्डस तथा उसकी तैयारियाँ, जो अन्यथा निर्दिष्ट नहीं

निक्कोटिन हाइड्रोक्लोराइड तथा उनके द्रव

निक्कोटिन सालिसिलेट

निक्कोटिन सल्फेट, घन या द्रव में

निक्कोटिक टारटरेट

पी. नाइट्रोअनिलिन (पारानाइट्रोअनिलिन)

नाइट्रोबेन्सीन (नाइट्रोबेन्सोल, मिराबेन तेल)

पी. नाइट्रोहीनोल (पारानाइट्रोफॉनिल)

नाइट्रोटोल्युन ओथेरो-पारा-नाइट्रोटोल्युन

ओवसालिक आसिड

अत्रेवसातिक नमक
 पारातियोन
 पारातियोन तथा मिश्रण, घन, द्रव या संपीडित गैस (डेईरी-पी-नेट्रो-फिनेल थयोफोसफेटस)
 पेन्टाबलोरोईरीन
 फेनोल (कार्बोलिक अम्ल)
 एम. फेनैलानिडियामिन (मेटाफेनैलानिडियामिन)
 पोड्यासियम आरसेनेट
 पोड्यासियम कुओसाइनाइड
 पोड्यासियम साइनाइड
 रोबेन्डिसाइडस
 शीष ड्रिंस (मुख्य संकटजनक अंश के अनुसार)
 सिल्वर साइनाइड
 सोडियम साइनाइड
 टेट्राबलोरोईरीन (असिटिलीन टेट्राबलोराइड)
 टेट्राति लेड (टेट्राटी टेट्रासिल)
 तालियम क्लोपाउण्डस
 टूबलोरोप्टिलीन
 त्रिक साइनाइड
 त्रिक फोसफाइड

भाग II

आरसेनिक सफेद, आरसेनिक पीला, आरसेनिक सल्फाइड, फोस्फर
 आरसेनैट (स्कील्स हरा), क्लोफर असेटोअरसेनैट (पेबेर्स हरा)
 आरसेनिक मेटल
 अरस फ्रिनोट्रियस (गन्ज या राति)
 बेरियम, बेरियम के सभी नमक
 पोट्याश क्व साइनाइड
 सोडियम क्व साइनाइड
 हाइड्रोजनब्लोरिक अम्ल
 ओलिक अम्ल या अन्य फाट्टी अम्लों के क्लोपाउण्ड में लेड
 मेरकुरिक पेर बलोराइड
 मेरकुरी ओक्साइडस लाल, पीला और क्वला, अमोणिएटड मेरकुरी
 मेरकुरी सल्फोसाइनाइडस, मेरकुरिक अयोडाइड लिक्व हाइड्रॉर्ग पेर बलोरी
 हाइड्रॉर्गिल सन्-बलोरीडम
 मार्किंग नटस्
 नैट्रिक अम्ल

भोक्सालिक आसिड सोडियम भोक्सालेट, पोट्रसियम भोक्सालेट, अमोणियम भोक्सालेट
 प्रूसिक आसिड
 पोट्रसियम हाइड्रोक्साइड
 लाल लेड
 स्ट्राइखनिन, स्ट्राइखनिन नैट्रट, स्ट्राइखनिन सल्फेट, स्ट्राइखनिन
 हाइड्रोक्लोराइड लिक्व स्ट्राइखनिन हाइड्रोक्लोराइड तथा सभी अन्य नम कीन द्रव और 0.2 प्रतिशत या ज्यादा
 स्ट्राइखनिन होनेवाली प्रिपरेटरीस
 सल्फ्यूरिक आसिड
 सोडियम हाइड्रोक्साइड
 टेराइथिल लेड
 वेर्डीग्रीस
 सफेद लेड

परिशिष्ट " आई "

(विनियम 107 (ख) (4) तथा (ख) (8) देखें)

**जहाज की अपनी शक्ति के साथ खतरनाक पेट्रोलियम निपटानेवाले
 खुले जलयानों के लिए विशेष आवश्यकता**

- (1) ज्यादा तौर पर पेट्रोलियम का बहन करनेवाले जलयानों के लिए ड्रॉयडस या अन्य अनुमोदन सोसाइटी नियमों के अनुसार अपनी शक्ति के साथ पेट्रोलियम निपटानेवाले खुले तेल जलयानों का निर्माण किया जाएगा ।
- (2) जहाज के अंत में नौदन करनेवाला संयंत्र रखा जाएगा ।
- (3) नौदन करनेवाला संयंत्र का रक्षण केसिंग प्रधान डेक से ऊंचाई में 2 मीटरों से कम होनी चाहिए ।
- (4) इस केसिंग में सभी खुली जगह हवा बंद करना चाहिए ।
- (5) इंजन कक्ष या स्टाकहोल्ड में पेट्रोलियम बाष्प के प्रवेश करना निरोध करने आवश्यक कोई अन्य निवारण उपाय लेना चाहिए ।
- (6) जहाँ भाप कार्गो पंप के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाज के मुख्य बाइलरों से पूर्ति करना होगा तथा निपटान की शुरुआत के पहले धूम ट्यूब को निकालकर धुआकश के साफ करना होगा ।

परिशिष्ट " जे "

(विनियम (107) (ग) (1) देखें)

**खतरनाक पेट्रोलियम तथा उनके उत्पादन तथा अन्य ज्वलनशील द्रव,
 जो 76 ° एफ (23° सेन्टीग्रेड) के नीचे प्रज्वलित हैं, की सूची**

पेट्रोलियम तथा अन्य हाइड्रोकारबन तेल, खतरनाक जिसका ज्वलनांक 78° एफ (23° सेन्टीग्रेड) से कम हो ।

1. विमानन स्मिरेट
2. केन्जीन
3. केन्जीन (पेट्रोल)
4. बेनसोल

5. बेन्सोल
 6. बेन्सोलिन
 7. इतिल किमानन स्फिरिट
 8. गेसोलिन
 9. मोटोर स्फिरिट
 10. मोटोर कार स्फिरिट
 11. सोलवेन्ट तेल
 12. पेट्रोलियम ईतर
 13. नाफ्ता, मिन्रेल
 14. सोलवेन्ट नाफ्ता
 15. टोल्चूल
 16. वैंलील
- 76° एफ (230° सेन्टीग्रेड) के नीचे प्रज्वलन बिन्दु होनेवाले अन्य ज्वलनशील द्रव :
1. अमी आलकहोल
 2. कार्बन का कैसलैड
 3. क्लोरोफोम
 4. ईतर
 5. ईतर फार्मिक (इतिल फेरमेट)
 6. ईतर (सलफ्यूरिक)
 7. इतिल अमटेट (अमोटिक ईतर)
 8. फोजलिन (फोटोग्राफिक वा अमी प्रकार के प्रबोजनार्थ)
 9. इतिल क्लोराइड
 10. अक्वामोसुट आलकहोल
 11. सोलवेन्ट तेल
 12. सी. पी. मेन्कोल
 13. फ्रेन्च फ्रान्स
 14. औद्योगिक आलकहोल, निम्नप्रकार डीनाचुवेर्ट :
 डीनाचुवेर्ट श्लोवा स्फिरिट
 डीनाचुवेर्ट स्फिरिट, साधारण
 डीनाचुवेर्ट स्फिरिट, विशेष
 मेथिलेटेड स्फिरिट
 15. अक्वामोसुट अक्वामोसुट
 16. मीठिल अमटेट
 17. मीठिल अक्वामोसुट
 18. फवर अक्वामोसुट तथा फवर आलकहोल मिश्रण
 19. परिशोधित स्फिरिट (50° एफ (10° सेन्टीग्रेड) ओवरपूक तथा उससे ज्यादा)
 20. स्फिरिट वास्तीश
 21. स्फिरिट, वास्ती तथा देशीय कार्डिटल्स जो 50° एफ से कम (ओवरपूक)
 निम्नप्रकार:
 अरफक
 लिबर
 श्लोवा स्फिरिट
 टोटी
 22. सुट नाफ्ता वा सुट स्फिरिट
 23. क्विन्साशी (स्व) न्चलनशील
 24. नाफ्ता वा अन्य ज्यादा न्चलनशील द्रवों के अधिक रूप से होनेवाली

- सिमेंट, क्लोरोसिफ्ट पेइन्ट, पॉलिश तथा अन्य वस्तुएं
25. नेक्सेल गृह सिमेंट
 26. नेक्सेलस्टर
 27. पेइन्ट ब्रिक्
 28. लाकर्स, नैट्रो-सेलुलोज
 29. पेइन्ट नैट्रो-सेलुलोज
 30. पॉलिश, नैट्रो-सेलुलोज
 31. स्टेन- नैट्रो सेलुलोज
 32. वार्निश, नैट्रो सेलुलोज
 33. सेलुलोजे अस्पट्ट डोप
 34. नैट्रो-सेलुलोजे डोप
 35. पेइन्ट तथा वार्निश रिपूवेर्स
 36. प्लास्टिक तुड़
 37. गलना ब्यूरोफिक्स
 38. रबट एंड नाफ्त के रबट ट्व
 39. झामेल, नैट्रो-सेलुलोज

टिप्पणी :- यह सूची निशेधी नहीं है ।

भारत के राजपत्र असाधारण की धारा 3, (i) उप-धारा (1) भाग II में प्रकाशित

भारत सरकार

पोत परिवहन मंत्रालय

(पोत पक्ष)

दिनांक 6 मई, 1988

अधिसूचना

सा.का.नि.555 (ड) महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा कोचिन पोर्ट (स्टीवडोरिंग लाईसेंस की जारी) संशोधन विनियम 1987 का अनुमोदन करती है जो कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के न्यासी मण्डल द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 123 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 6-10-1987 एवं 20-10-1987 में केरल के राजपत्र में प्रकाशित किया है तथा इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में संलग्न किया है ।

अनुसूची

महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 123 की उप धारा (च) और (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोचिन पोर्ट का न्यासी मण्डल केन्द्र सरकार के अनुमोदन से एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 124 के अन्तर्गत निम्न लिखित विनियम, क्रमशः 6-10-1987 और 20-10-1987 के केरल राजपत्र में दो लगातार सप्ताहों में प्रकाशन करके बनाती है।

1. (i) संक्षिप्त नाम :- इन विनियमों का नाम "कोचिन पोर्ट (स्टीवडोरिंग लाइसेंस की जारी) विनियम, 1987 है।

(ii) प्रारंभ:- सरकारी राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से ये प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :-

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो कि (झ) 'अधिनियम' से महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 अभिप्रेत है।

(ii) 'बोर्ड' से अधिनियम के अधीन कोचिन पोर्ट के लिए गठित न्यासी मंडल अभिप्रेत है।

(iii) 'अध्यक्ष' का अभिप्रेत बोर्ड के अध्यक्ष से है।

(iv) 'फार्म' से अभिप्रेत है संलग्न फार्म।

(v) 'स्टीवडोर' से अभिप्रेत है कि विनियम 3 के अधीन एक व्यक्ति/ कंपनी को जिन्हें स्टीवडोरिंग लाइसेंस जारी किया गया है तथा विनियम 11 के तहत एक व्यक्ति/ कंपनी को जोड़ा गया है जो एक स्टीवडोर है।

(vi) यातायात प्रबन्धक से अभिप्रेत है कि कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के यातायात विभाग के वर्तमान प्रभारी अधिकारी जिनमें यातायात प्रबन्धक के उप एवं सहायक शामिल हैं तथा यातायात प्रबन्धक के प्राधिकारी के अधीन काम करनेवाले कोई अन्य अधिकारी।

3. स्टीवडोरों को लाइसेंस जारी करना

(i) अध्यक्ष पोर्ट एवं बार्फ, पोत घाट, बोर्ड के अधीन में हुई या डॉक संबन्धी के या डॉक के वा पोर्ट के भीतर जहाजों के स्टीवडोरिंग के दूसरे काम में लगे और जहाजों के बीच में मालों के उतारने एवं शिपिंग काम चलाने के लिए स्टीवडोरों के रूप में काम करने तैयार व्यक्तियों को आवेदन समर्पित करने पर दो साल की अवधि के लिए स्टीवडोरिंग लाइसेंस जारी कर सकता है।

(ii) अध्यक्ष द्वारा इन विनियमों के अधीन जारी किए गए लाइसेंस के अलावा पोर्ट के किसी भी वेसल में काम करने के लिए कोई भी स्टीवडोर को अनुमति नहीं करते हैं।

4. स्टीवडोरिंग काम करने के लिए इस काम की क्षमता वाले सबूत का प्रस्तुतीकरण

आवेदक द्वारा सबूत प्रस्तुत करने से उसे स्टीवडोर के रूप में काम करने की मंजूरी दी जाती है।

क) बोर्ड द्वारा समय समय पर बताए अनुसार झुपुट/ ओटपुट के मालों का हस्तन संभाल लिया है/ संभालेगा

ख) उनके मजदूरी और प्रतिपूक पर उनके द्वारा नियुक्त किए गए कामगारों और स्टाफों की आर्थिक सहायता की बाध्यता की मुकाबला करने कामगारों के प्रतिपूक अधिनियम 1923 मजदूरी भुगतान 1936, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या फिलहाल के लिए प्रबल में हुए दूसरी कोई विधि तथा नकद में जम। की गई 1 लाख रूपये या और कोई स्वीकार्य सुरक्षा निक्षेप, जो लाइसेंस के निष्कासन समिति पर वापस की जाएगी/ अदा की जाएगी।

ग) अपने रोजगार में न्यूनतम स्टाफों के होने का उत्तरदायित्व लेता है और स्टीवडोरिंग प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए अध्यक्ष द्वारा निर्धारित न्यूनतम गियर को संचालित है।

टिप्पणी: जहाज मालिक, जहाज प्रचालक, स्टीमर एजेंट, आयातक और निर्यातक भी लाइसेंस की मंजूरी के लिए योग्य हैं।

5. स्टीवडोर के कर्तव्य और उत्तरदायित्व :

हर स्टीवडोर स्टीवडोरिंग लाईसेंस के प्रचार के दौरान अध्यक्ष द्वारा निर्मांकित कर्तव्य आभार और बताए गए उत्तरदायित्व के अनुसार होंगे अर्थात्

- क) उतार और शिपिंग या मालों के यान्तरण या आकस्मिक काम प्रचालन के दौरान डॉक कामगार (सुरक्षा , स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम , 1986 के प्रावधान के अनुसार और डॉक कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विनियम , 1990 तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 के अधीन जारी किए संशोधन, बनेस भुगतान अधिनियम , 1965 और नियम , विनियम और योजना के अधीन जारी किए गए प्रचालन से संबंधित तथा प्रबल में हुए प्रावधानों को सुनिश्चित करके नियोजित सभी स्टाफ और कामगारों का अनुपालन करना है ।
- ख) उनके द्वारा अपनाए या प्रभारित गियर के साक्ष प्रचालन का कार्य संभालेगा ।
- ग) उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए गियर से संभव होनेवाली कोई दुर्घटना या परिणत होनेवाली क्षति के लिए वह पूर्णतः उत्तरदायी होगा ।
- घ) उनके द्वारा प्रचालन संबंधी स्वीकृत सभी सुरक्षा उपायों का अनुपालन किया जाएगा ।
- ङ) प्रचालन से उत्पन्न होनेवाले सभी थर्ड पार्टी दावों को खिलाफ बोर्ड के समक्ष सुरक्षित रखना है ।
- च) जब कभी पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड को अपने नियोजित कर्मचारी या कामगार या उनके आश्रितों को कामगारों के प्रतिपूरक अधिनियम 1923 के प्रावधान के अधीन नियोजित अपने कर्मचारी या कामगार या उनके आश्रितों को प्रतिपूरक भुगतान करना पड़ता है, एक स्टीवडोर या कोई कर्मचारी या कामगार द्वारा काम निष्पादित करते समय होने कोई दुर्घटना के फलस्वरूप कामगारों के प्रतिपूरक अधिनियम , 1923 के प्रावधान के अधीन, भुगतान किए किसी रकम को स्टीवडोर द्वारा बोर्ड को वापस करना पड़ता है जो किसी कारणवश, कामगारों के प्रतिपूरक अधिनियम , 1923 के अधीन बताए गए प्रतिपूरक की मात्रा को बोर्ड और स्टीवडोर के बीच बाध्यकारी और निर्णायक मना लगा ।
- छ) प्रचालन के समय में पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड के यदि कोई गियर प्लान्ट और अन्य संपत्ति को क्षति हो जाती है तो उचित जाँच पड़ताल के बाद अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिए अनुसार स्टीवडोर ऐसे नुकसान या क्षति के लिए बोर्ड को प्रतिपूरक देना पड़ता है ।
- ज) प्रतिक्र की भुगतान, मात्रा या इससे संबंधित प्रश्नों के समाधान के लिए अध्यक्ष द्वारा नामित विवाचक से वह कोचिन पोर्ट ट्रस्ट और उनके बीच के कोई विवाद या भिन्नता को सूचित करने के लिए सहमत हो सकता है ।
- झ) हर एक बहाब के निरीक्षण के लिए जिनमें उन्होंने स्टीवडोरिंग प्रचालन काम संभाल लिया है, एक अनुभव संपन्न आदमी को नियोजित करने के लिए वह उत्तरदायी होगा ।
- ञ) पोर्ट ट्रस्ट या पोर्ट ट्रस्ट के कोई अधिकारी द्वारा समय समय पर मंगी गई सूचनाएं सही रूप से प्रस्तुत करेगा ।
- ट) वह यह सुनिश्चित करें कि पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड/कोचिन डॉक लेबर बोर्ड के सभी देय नियुक्त तारीख को ही भुगतान किया जाए जिसकेन होने पर उसके लाईसेंस नवीकृत नहीं किया जाएगा और इन विनियमों के अधीन रह किया जाएगा ।
- ठ) अधिकतम निष्पादन से साक्ष आवश्यक सुरक्षा सुनिश्चित करके उनके द्वारा नियोजित कामगारों के लिए काफी पर्यवेक्षण का उपबन्ध किया जाएगा ।
- ड) अमुक टाइप के कारगो के लिए आवश्यक सभी गियर, यथावत् निरीक्षण किए उपकरणों का उपबन्ध किया जाएगा ।
- डि) निरीक्षण डॉक सुरक्षा या यातायात प्रबन्धक द्वारा मंग करने पर या आवधिक निरीक्षण के लिए आवश्यक तापानुशील और निरीक्षण प्रमाणपत्रों के साक्ष गियर, उपकरण प्रस्तुत किया जाएगा ।
- ण) कामगारों को आवश्यक या कारगो के लिए योज्य होनेवाला उचित रक्षापूर्वक सुरक्षा उपकरणों का प्रबन्ध करना पड़ेगा ।
- त) शिफ्ट अवधि के समय कर्मस्थल पर, अवकाश घंटे के समय को छोड़कर मजदूरों की लभ्यता सुनिश्चित करना है और साधारण औटपुट का उत्पादन प्राप्त करना । दिनांक 17-4-95 के सा.से.नि-345 (ड)के तहत प्रतिस्थापित है तथा

जब कम्पनी औटपुट साधारण से नीचे हो जाती है तो निष्पादन की प्रगति करने के लिए प्रभावी कदम उठानी चाहिए।

- थ) बोर्ड वेसलों की भराई, कारगो के ब्रेकिंग, कारगो के स्टार्किंग कारगो के नौभरण जैसे सहायक प्रचालनों का काफ़ी प्रबन्ध करना पड़ेगा।
- द) केन्द्रीय सरकार एवं पोर्ट आन्ड डॉक कामगार फेडरेशन के बीच में समय समय पर लिए गए मजदूरी समझौते के शर्तों के अनुसार उनके द्वारा नियोजित कामगारों को मजदूरी भुगतान करने के लिए वह बाध्य होगा।
- ध) अध्यक्ष को लिखकर पूर्व अनुमोदन के बिना उसे सौंपने, स्थानान्तरण करने या किसी भी प्रकार अन्य हित या लाभ के साथ सहभागी होना व दूसरे अन्य व्यक्ति को लाईसेंसधारिण न होना पड़ेगा।
- न) उसे यातायात प्रबन्धक द्वारा सुरक्षा की सुधरे निष्पादन और श्रम अनुशासन की भलाई में समय समय पर जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन करना पड़ेगा।

6. लाईसेंस के नवीकरण मंजूरी के लिए आवेदन :

- i) स्टीवडोरिंग लाईसेंस की मंजूरी या नवीकरण के लिए यातायात प्रबन्धक को संबोधित करके फॉर्म 'ए' में आवेदन देना पड़ेगा।
- ii) आवेदक को लाईसेंस जारी करने या नवीकृत करने के पहले 4500/- रुपये के लाईसेंस शुल्क भुगतान करना पड़ेगा। हर एक अनुज्ञापिधारी स्टीवडोर को लाईसेंस के अधीन अनुमत काम के उचित निष्पादन के लिए 5,000/- रुपये की रकम बयाना निक्षेप के रूप में जमा करना पड़ेगा। बयाना निक्षेप को ब्याज नहीं मिलेगा तथा बोर्ड के किसी दावों की टिकाऊ करने के बाद लाईसेंस प्रचालन बन्द कर दी जाएगी।
- iii) आवेदक को सुरक्षा निक्षेप के रूप में एक लाख रुपये की रकम बैंक ग्यारंटी स्टीवडोरिंग लाईसेंस के प्रचालन के समय मुकाबला करने की क्षमता के लिए प्रस्तुत करना पड़ेगा। 2 वर्ष से कम नहीं है। ताकि आकस्मिकताओं की मुकाबला कर सकते हैं।
- iv) इन विनियमों के अधीन मंजूर या नवीकृत किए गए हर लाईसेंस "फॉर्म बी" में होगा।
- v) लाईसेंस की समाप्ति के लगभग 60 दिनों के पहले स्टीवडोरिंग लाईसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन देना पड़ेगा। 60 दिनों के अनुबद्ध समय के भीतर नवीकरण के लिए आवेदन यदि प्राप्त नहीं होता है बशर्ते कि यातायात प्रबन्धक द्वारा विलंब शुल्क के साथ नवीकरण के लिए आवेदन लाईसेंस की वास्तविक समाप्ति तारीख के पहले 30 दिनों के भीतर स्वीकृत किया गया है तो ऐसे आवेदन 500/- रुपये के भुगतान पर अध्यक्ष स्वीकृत कर सकते हैं।
- vi) असली लाईसेंस के खोने या बिगाड़ने पर, यातायात प्रबन्धक को आवेदन देने पर एवं एक सौ रुपये की भुगतान पर नकली लाईसेंस प्राप्त कर सकते हैं।
- *vii) लाईसेंस नवीकरण जारी करने के पहले "निरीक्षक" से डॉक कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 के अधीन सुरक्षा निष्पादन संबंधी तथा डॉक सुरक्षा हेतिसयत के अनुपालन संबंधी रिपोर्ट प्राप्त करना है जिसे कि लाईसेंस नवीकरण की मंजूरी के अवसर पर मना लिया जाएगा।

टिप्पणी :- आवेदक को इन विनियमों की धारा 4 (ख) के अनुसार स्टीवडोरिंग लाईसेंस के प्रचालन के दौरान एक लाख रुपये मूल्य की एक बैंक ग्यारंटी भी प्रस्तुत करना है।

7. नाम में परिवर्तन, गठन आदि की सूचना देना

- i) जब स्टीवडोर एक फॉर्म या कंपनी होता है, तो उसे निदेशक, प्रबन्धकीय निदेशक या साझेदारी में हुए परिवर्तन के संबंध में तुरन्त ही अध्यक्ष को परिवर्तन के समर्थन करने वाले दस्तावेजों की प्रतिलिपि के साथ सूचना देना है।
- ii) स्टीवडोरिंग लाईसेंस धारण करने वाले फॉर्म या कंपनी के नाम, संस्थापन या शीर्षक में कोई परिवर्तन हो तो उसे तत्काल ही अध्यक्ष को सूचित करना है। इस प्रकार के परिवर्तन लाने वाले कंपनी या फॉर्म को नए लाईसेंस की मंजूरी के लिए ताज़ा आवेदन देना है; बशर्ते कि अध्यक्ष ऐसे ताज़े आवेदन पर एक निर्णय लेने तक इस प्रकार के फॉर्म या कंपनी को व्यवसाय आरंभ करने के लिए अनुमति दे सकता है। नए लाईसेंस की जारी करने के लिए देय प्रभार ताज़े लाईसेंस की जारी के मामलों पर संलग्न करना है।

* दिनांक 17-4-95 के सा.से.नि. 345(ड) के तहत जोड़ा गया है।

8. जाँच पड़ताल के लिए लंबित लाईसेंस को निलंबित करने के लिए अध्यक्ष के अधिकार

अध्यक्ष से यातायात प्रबन्धक स्टीवडोर द्वारा स्टीवडोरिंग लाईसेंस के शर्तों के उल्लंघन के संबंध में रिपोर्ट करें और अध्यक्ष पोर्ट की भलाई में यदि उचित और आवश्यक समझ जाता है तो स्टीवडोर को जारी की गई लाईसेंस, लंबित जाँच-पड़ताल पर तीन महीने से न अधिक अवधि के लिए निलंबित कर सकता है।

9. लाईसेंस का निलंबन

- 1) स्टीवडोर द्वारा लाईसेंस के किसी शर्तों के उल्लंघन के लिए या नीचे बताए गए किसी कारणवश अध्यक्ष स्टीवडोर को जारी किए गए लाईसेंस रद्द या उन्हें आवश्यक उचित समयावधि के लिए लाईसेंस निलंबित कर सकता है।
 - i) सुरक्षा उपायों का उल्लंघन
 - ii) निम्नतम उत्पादकता
 - iii) स्टीवडोरिंग कामगारों पर पर्यवेक्षण की कमी
 - iv) पैकेजों का अनुचित और असुरक्षित हस्तान करना
 - v) माल तथ्यों का मिथ्या निरूपण या अयथार्थ विवरण देना
 - vi) स्टीवडोर को दिवालिया दण्डित करना या परिसमपनाधीन पाना
 - vii) पोर्ट के किसी काम में बाधा उत्पन्न करना
 - viii) कोई अन्य व्यक्तिगत या पार्टियों को काम शिकमी देना
 - ix) किसी बुरी आदत देख लेने पर बोर्ड की राय में रद्द करने या निलंबित करने कहना

2. स्टीवडोर के लाईसेंस को रद्द करने या निलंबित करने के पहले उचित कारण बताने का अवसर देने के बाद ही उसे रद्द करने या निलंबित करने की बात रिकार्ड करने के बाद ही स्टीवडोरिंग लाईसेंस को रद्द या निलंबित करेंगे।

10. अपील

- i) अध्यक्ष के आदेश पर कोई व्यक्ति इन विनियमों के अधीन लाईसेंस मंजूर करने के लिए मंजूरी या तिरस्कार या लाईसेंस के नवीकरण या तिरस्कार और लाईसेंस के निलंबन पर अपील किए आदेश के खिलाफ तीस दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार को लिखकर अपील कर सकता है।
- ii) पुनरावेदक पर ध्यान देने के बाद केन्द्र सरकार यथोचित अपना अपील पारित कर सकता है।
- iii) यद्यपि विनियम में अन्तर्विष्ट होने के बावजूद 30 दिनों की अवधि के बाद ही अपील स्वीकार करेंगे यदि पुनरावेदक केन्द्रीय सरकार को समाधान करता है कि उनको उस अवधि के भीतर आवेदन देने के लिए पर्याप्त कारण है।

11. इन विनियमों में अन्तर्विष्ट होने के बावजूद, इन विनियमों के जारी करने की तारीख से लागू में आए स्टीवडोरिंग लाईसेंस इन विनियमों के अधीन जारी समझ पायेंगे तथा इस प्रकार के लाईसेंस की कालावधि की समाप्ति तक मान्य माने जाएंगे।

12. निरसन

स्टीवडोरिंग लाईसेंस की जारी करने के संबंध में कोचिन पोर्ट आन्ड डॉक विनियम 1975 के विनियम 67 और 68 रद्द किए समझ जाए।

फार्म - 'ए'

कोच्चिन पोर्ट ट्रस्ट
यातायात विभाग

सेवा में

यातायात प्रबन्धक
कोच्चिन पोर्ट ट्रस्ट

स्टीवडोरिंग लाइसेंस की मंजूरी/नवीकरण के लिए आवेदन फार्म

1. आवेदक का नाम :
2. यदि व्यक्तिगत, फार्म या कंपनी है (साझेदारी, कंपनी संबन्धी :
कागजात प्रस्तुत करना है)
3. पूरा पता :
4. कितने वर्ष/वर्षों के लिए लाइसेंस आवश्यक है :
5. स्टीमशिप कंपनी/शिप चार्टरर/कागों के मालिक
जिनके साथ अपने जहाज/कागों की ठेकेदारी के लिए
सहायता या प्रविष्टि प्रस्तावित है (ठेके की अवधि का
सबूत संलग्न करना है। प्रत्येक पार्टी के लिए लगभग
टनेज सूचित करना है) :
6. इस क्षेत्र में पिछले वर्षों का अनुभव (पिछले 3 वर्षों में
स्टीवडोर किए गए कागों तथा टनेज का उल्लेख करना
है) :
7. कामगारों के प्रतिकर अधिनियम आदि के अधीन मजदूरी,
प्रतिकर बाध्यता की आर्थिक योग्यता की मुकाबला
करने का सबूत (बैंकों से आर्थिक योग्यता का प्रमाण पत्र
एवं आय कर निकासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है) :

8. ठेकेदारी जहाज/कार्गो के स्टीवडोरिंग के लिए काफो गियर समाप्त करने को / करने के लिए यदि आवेदक, चाहता है ? (नवीकरण के संबंध में चालू किए गए गियर की सूची का आवश्यक प्रमाण पत्र का उल्लेख करना है। नए आवेदकों के संबंध में चालू करने के लिए प्रस्तावित गियर की सूची देना है)। :
9. क्या आवेदक अपनी नौकरी में अनुभव युक्त तथा नियम और विनियम से संपन्न काफो स्टाफ को रखना/ रखने के लिए चाहता है। (नवीकरण के संबंध में नियुक्त कर्मचारियों का विशद विवरण एवं उनके अनुभव और नए आवेदकों के संबंध में नियुक्त करने के लिए प्रस्तावित कर्मचारियों का विशद विवरण एवं उनके अनुभव का उल्लेख करना है) :
10. क्या आवेदक ने पोर्ट ट्रस्ट/डी एल डी के साथ हुए कार्य सम्पादन के फलस्वरूप हुई सभी देयों का निष्पादन किया है ? :
11. क्या लाईसेंस शुल्क तथा बयाना निक्षेप की भुगतान की है ? :

(भुगतान की रसीद संलग्न करना है। अगर लाईसेंस जारी नहीं किया है/नवीकृत नहीं किया है तो लाईसेंस शुल्क और निक्षेप वापस कर देंगे।

मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि दिए गए विवरण अपनी जानकारी और भरोसे में सही है।

लाईसेंस की मंजूरी के लिए आवेदन मान लेने के लिए आवश्यक कोई अन्य सूचनाएं/कोई रिकार्ड निरीक्षण के लिए समर्पित करने के लिए सहमत हूँ।

लाईसेंस की जारी करने पर/नवीकृत करने पर मैं कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के विनियम, 1987 तथा कोचिन पोर्ट ट्रस्ट प्रभाग डॉक लेबर द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन करने के लिए सहमत हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान:

दिनांक

‘ फार्म- बी ’

(पोर्ट ट्रस्ट मुहर)

पोर्ट में स्टीवडोरिंग संभालने के लिए लाईसेंस

1. अनुज्ञापिधारी का नाम :
2. पता :
3. मंजूर की लाईसेंस की अवधि :
4. उल्लेख करने के अन्य कोई विवरण :
- 5.
- 6.
- 7.

(मुहर) लाईसेंस प्राधिकार

पदनाम

स्थान

शर्तें

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 तथा कोचिन पोर्ट (स्टीवडोरिंग लाईसेंस की जारी) विनियम 1987 के प्रावधान के अनुसार यह लाईसेंस मंजूर की है ।

बैंक गैरन्टी

गैरन्टी संख्या:

अध्यक्ष के मान लेने पर , कोचिन पोर्ट ट्रस्ट , कोचिन-682 009 (एतद्वारा बोर्ड कहा जाता है)को कोचिन पोर्ट (स्टीवडोरिंग लाईसेंस जारी करना) विनियम, 1987 (एतद्वारा विनियम कहा जाता है) के अधीन मेसर्स..... स्टीवडोरिंग लाईसेंस मंजूर करने के लिए सहमत होकर (एतद्वारा स्टीवडोर कहा जाता है) एवं उक्त विनियम में बताए गए शर्तों को स्टीवडोर द्वारा पालन करने और कोचिन पोर्ट (स्टीवडोरिंग लाईसेंस जारी करना) विनियम, 1987 के विनियम 4 (छ) और 5(iii) के शर्तों के अनुसार 2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) रुपये के कुल रकम की गैरन्टी का दस्तावेज स्वीकार करने के प्रावधान के साथ बशर्ते कि हम.....(बैंक) एतद्वारा बैंक क रूप में

बताया जाता है) मेसर्स के अनुरोध करने पर स्टीवडोर इसके साथ सुरक्षित और कार्यचालन करने के लिए सहमत हो जाता है तथा हुए नुकसान या क्षति या नुकसान होने के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए या बोर्ड द्वारा मुक्त किए गए क्षति के लिए उक्त विनियम में बताए गए 2,00,000/- (दो लाख रुपये) रुपये के हद तक की बोर्ड को हुई क्षतिपूर्ति के लिए, या उक्त स्टीवडोर द्वारा उपयुक्त विनियम में बताए गए किसी शर्तों के पालन न करने पर या उल्लंघन करने पर तथा बोर्ड को हुई किसी नुकसान या क्षति व बोर्ड को हुई नुकसान, उठानी पडी नुकसान तथा बोर्ड द्वारा मांगने पर दावा की रकम एवं पूर्वोक्त की सीमा तक आपत्ति के बिना भुगतान करना है । इस गैरंटी के अधीन बैंक द्वारा देय और देय रकम के संबंध में बैंक से की किसी मांग निर्णायक होगी । तथापि, इस गैरंटी के अधीन हमारी देयता 2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) रुपये से अधिक न होनेवाली रकम में सीमित करना है ।

2. हम, उक्त बैंक आगे सहमत करते हैं कि बोर्ड द्वारा मंजूर की गई स्टीवडोरिंग के प्रचालन के दौरान इसमें सम्मिलित गैरंटी प्रभावी और पूर्णतः लागू होंगे । अर्थात् स्टीवडोरिंग लाईसेंस के शसनाधिक किसी शर्तों के अनुसार सभी बोर्ड देयों का पूर्णतः भुगतान तथा जारी करने के तारीख से दो साल की अवधि के लिए लाईसेंस प्रवर्तनीय होंगे उसके दावे संतोषजनक या विमोचित था उस अवधि तक लागू करने बोर्ड प्रमाणित करने के अवधि तक और तदनुसार इस गैरंटी के छुटकारे पर, बशर्ते कि लाईसेंस की समाप्ति के तारीख से बारह महीने के बाद इस गैरंटी पर बोर्ड को कोई दावा न होगा , अर्थात् और तदुपरान्त इस गैरंटी के सभी देयताओं से हम विमुक्त होंगे ।

3. हम उक्त बैंक सहमत करते हैं कि बोर्ड को हमारे सहमति के बिना तथा लाईसेंस के किसी शर्तों व स्थितियों में भिन्नता लाकर हमारे विलोपन में प्रभाव न डाले बिना एवं स्टीवडोर द्वारा निष्पादन समय की अवधि बढ़ाने की या स्टीवडोर के खिलाफ समय समय पर लागू किसी प्राधिकार को प्राधिकृत करने या किसी समय क लिए स्थगित करने और शासित लाईसेंस के किसी शर्तों को प्रवर्तित करने या इससे दूर रहने एवं स्टीवडोर को मंजूर की गई बढ़ाई या किसी कारणवश हमारे देयता से विमुक्त नहीं होंगे । बोर्ड द्वारा किसी अतिभोग आंशिक आयुक्त बोर्ड की ओर से कमीशन से अलग रहने के लिए कोई अन्य विषय के संबंध में या स्टीवडोरों के अन्य प्रावधानों के साथ जो कुछ भी हो विधि अनुसार जमानती के अधीन हमारी देयता से हमें विमुक्त करने का प्रभावी प्रावधान होंगे ।

4. हम उक्त बैंक इस गैरंटी के प्रचलन के दौरान इसे रह न करने से अलग बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना और बैंक स्टीवडोरों के संविधान में कोई परिवर्तन के साथ हमारी देयता को छुटकारा न देने का अंत में वादा करते हैं ।

5. इसके पहले कुछ अन्तर्विष्ट करने के बावजूद भी इस गैरंटी के अधीन हमारी दायिता 2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) में सीमित की है । हमारी गैरंटी दावे के रूप में रहेगी, इस तारीख के पहले गैरंटी के अधीन हमारे खिलाफ फाइल किया है (जो गैरंटी के समाप्ति का तारीख है) । इस गैरंटी के अधीन बोर्ड में सभी अधिकार अपवर्तित किए जाएंगे तथा हमें इसके अधीन के सभी देयताओं से छुड़ाएंगे और मुक्त करेंगे ।

दिनांक.....

गवाही

बैंक का नाम

1.

2.

गैरंटी संख्या,

समाप्ति तारीख

2,00,000/- रुपये दायिता की सीमा(दो लाख रुपये मात्र)

दिनांकित 14 फरवरी 1989 के केरल राजपत्र में प्रकाशित

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट अधिसूचना

संख्या: बी 2/6025 86/एस

23 जनवरी , 1989

महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963(1963 की संख्या: 38) की धारा 123, उप धारा 132 द्वारा प्रदत्त शक्तियों की उप धारा (च) और (ट) के प्रयोग में कोचिन पोर्ट ट्रस्ट न्यासी मंडल द्वारा बनाए जानेवाले निम्न विनियम उक्त जनता की सूचना के लिए उक्त विनियम की धारा 124 के उप धारा (2) के अधीन अपेक्षित किए अनुसार दुबारा प्रकाशित तथा इसकी उप धारा (1) को केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित की गई जैसे की :-

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ**

- (i) इन विनियमों का नाम कोचिन पोर्ट ट्रस्ट (खतरनाक/जोखिम फ़ाइट कन्टेइनों का बहन करने वाले माल) का विनियम, 1987 है।
 (ii) ये राजपत्र में प्रकाशित करने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं**

- (i) इन विनियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो तो पोर्ट से कोचिन पोर्ट अभिप्रेत है।
 (ii) खतरनाक माल के लिए "फ़ाइट कन्टेइनर" को एतद्वारा "कन्टेइनर" नाम दिया गया है अर्थात् एक या कई तरह के परिवहन द्वारा खतरनाक सामानों के परिवहन के उद्देश्य से एक विशेष रूप से निर्माण किए गए परिवहन उपस्कर से अभिप्रेत है।

टिप्पणी : खतरनाक/जोखिम माल के बहन के लिए उपयोग करनेवाले कन्टेइनों को पर्याप्त बल होने चाहिए जिससे उसके काम में आनेवाले शर्तों द्वारा आनेवाले परिहार्य दबाव का प्रतिरोध करना चाहिए और ये उचित एवं नियमित रूप से रखे जाएं।

- (iii) बंद कन्टेइनर का अर्थ एक कन्टेइनर जो एक दरवाजे द्वारा एक वश में या एन्डवॉल में लगा किया जा सकता है।
 (iv) 'ऑपन-टॉप कन्टेइनर' का अर्थ कन्टेइनर जिसमें निचला वश एवं एन्डवॉल है टब के लिए कोई छत नहीं है।
 (v) "टैंक कन्टेइनर" का अर्थ ब्रव एवं गैस बल्क में अनिवार्य शर्तों के अनुसार वितरण एवं परिवहन के लिए विशेष रूप से निर्मित कन्टेइनर है।
 (vi) "प्लेटफॉर्म कन्टेइनर" एक तरह का लदान योग्य प्लेटफॉर्म है जिसके लिए बाहरी लंबाई एवं चौड़ाई जो कन्टेइनर सीरीस का तल है और इन कन्टेइनों में ऊंचे और नीचे का फिर्निश है जो कि वहीं के सुरक्षित एवं लिफ्टिंग उपकरण उपयोग किया जाए।
 (vii) "कन्टेइनर स्पेस" एक कन्टेइनर में उपलब्ध जगह है जो एक टी ई यु से तुल्य है। एक टी ई यु का माप 6.1 मी. X 2.4 मी. X 2.4 मी. है। इस दूरी में एक न्यूट्रल कन्टेइनर या कई कन्टेइनर भरे हैं।
 (viii) "कन्टेइनर पार्किंग यार्ड" कन्टेइनों का ढेर लगाए गए प्रांगण है।
 (ix) "कन्टेइनर संचालन उपस्कर" ट्रान्सफर क्रेन, टॉप लिफ्ट ट्रक, फोर्क लिफ्ट ट्रक या कन्टेइनर उठाने के लिए विशेष रूप से निर्मित अन्य कोई उपस्कर जैसे उपकरण है।
 (x) "कन्टेइनर जहाज" एक जहाज जिसमें डेक के नीचे या ऊपर कन्टेइनर भरे हैं और इसमें माल का बल्क के रूप में संचालन करनेवाले कन्टेइनर अनुस्थापित जहाज भी शामिल है।
 (xi) "खतरनाक माल शेड", खतरनाक/जोखिम माल रखने के लिए विशेष रूप से निर्मित शेड है।
 (xii) "आई एम ओ (आई एम सी ओ)" का अर्थ अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री प्रतिष्ठान है।
 (xiii) "आई एम ओ कोड", समय समय के संशोधन के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक सामानों पर अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित प्रायोगिक कोड है।
 (xiv) "चढ़ाव एवं उतराव", समुद्र पर जहाज में कन्टेइनर का रखाव एवं उससे निष्कासन है।

- (xv) “ पाकेजस”, खतरनाक सामानों का पात्र एवं खतरनाक/जोखिम माल का वहन करनेवाले पात्र है ।
- (xvi) “ पार्किंग एवं अनपार्किंग ”, एक कन्टाइनर में खतरनाक/जोखिम माल का कन्टाइनर रखना और उससे इसका निष्कासन करना है ।
- (xvii) “ स्टर्किंग एवं डीस्टर्किंग” कन्टाइनर माल से भरना और उससे माल का निष्कासन करना है ।
- (xviii) “ ट्रान्सपोर्ट ट्राकर - ट्रैलर ”, सड़क द्वारा सामानों के परिवहन के लिए दोनों स्थायी या अस्थायी रूप से डिजाइन किए गए ट्रैलर संयोजित किए गए परिवहन ट्राकर का एक संयोग है ।

3. खतरनाक/जोखिम माल

इस विनियम के उद्देश्य के लिए खतरनाक/जोखिम माल में, अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री प्रतिष्ठान, लंदन के अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक माल संहिता द्वारा बर्गीकृत सभी सामान मिलाया है ।

4. खतरनाक/जोखिम सामानों का बर्गीकरण

इस विनियम के उद्देश्य के लिए खतरनाक/जोखिम सामान निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किए जाएंगे । यह आई.एम.डी.जी. संहिता के बर्गीकरणों के आधार पर है ।

श्रेणी 1 - विस्फोटक

श्रेणी 2 - दबाव के अधीन संगीठित डिब्बा, द्रवित और विलयन

श्रेणी 3 - ज्वलनशील द्रव

श्रेणी 4.1. ज्वलनशील ठोस

श्रेणी 4.2. स्वतः दहन होनेवाले सामान

श्रेणी 4.3. पानी से मिलने पर ज्वलनशील गैस का उत्पादन करनेवाले सामान

श्रेणी 5.1. ऑक्सीडाइजिंग सामान

श्रेणी 5.2. आरगानिक पेरोक्साइड्स

श्रेणी 6.1. विषैला सामान

श्रेणी 6.2. औपसर्गिक सामान

श्रेणी 7- विघटनाभिक सामान

श्रेणी 8- संक्षारक

श्रेणी 9- विविध खतरनाक सामान अर्थात् अन्य कोई सामान जो प्रयोग करने पर खतरनाक स्वभाव दर्शाता है उसे खतरनाक सामान समझना चाहिए ।

5. पोर्ट में खतरनाक/जोखिम कन्टाइनर का वहन करनेवाले जहाजों का सामान्य स्वीकरण

(i) पोर्ट में पहुंचनेवाले सभी खतरनाक/जोखिम माल बर्गीकृत, पैक किए गए, लेबल किए गए एवं आई एम ओ संहिता के अनुसार अंकित और तदनुसार जहाज/पोतवणिक द्वारा घोषित भी होना चाहिए । कन्टाइनर भी तदनुसार अंकित करना चाहिए और अंतर्वस्तु सूचित करके प्रचालित कंपनी का एक पैकिंग प्रमाण पत्र भी इसके साथ देना चाहिए । इस उद्देश्य के लिए पोर्ट द्वारा अनिवार्य फॉर्मेट निर्धारित किया जाएगा ।

(ii) कन्टाइनरों को सजाकर रखने से और आई एम ओ संहिता की धारा 12 के अनुसार दस्तावेज देने के बिना कोई भी खतरनाक/जोखिम माल का जहाज पोर्ट में प्रवेश नहीं कर सकता ।

6. कुछ श्रेणी या मात्रा के खतरनाक/जोखिम माल के जहाजों के प्रवेश में निबंधन

पोर्ट विनियमों के अनुसार पोर्ट क्षेत्र के अन्दर संचालन के लिए अनुमोदित मात्रा को छोड़कर विस्फोटक सामानों के जहाज को केवल उक्त पोर्ट अधिकारियों द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में या लंगरगार्हों में ही प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी ।

- (ii) दाब के अधीन संगीडित, द्रवीकृत या विघटित गैसों का कोई भी सिलिंडर, विस्फोटक के मुख्य नियंत्रक द्वारा आयात/निर्यात के लिए अनुमोदित करने के बिना पोर्ट के अन्दर लाने की अनुमति न दी जाएगी ।
- (iii) निम्न लिखित श्रेणी और मात्रा के खतरनाक सामानवाले टैंक कन्टाइनरों में कोई भी जहाज पर उक्त पोर्ट अधिकारियों द्वारा अधिसूचित मात्रा सीमित की जाएगी, किसी भी भार में सभी श्रेणी की वस्तुएं कुल 50 टन से अधिक न होगी ।

श्रेणी 2 -	द्रवीभूत ज्वलनशील या विषैला गैस
श्रेणी 2.1-	ज्वलनशील द्रव उदाहरण कार्बन डाइसल्फाइड
श्रेणी 4.2-	स्वतः दहनशील द्रव उदाहरण अल्यूमिनियम आलकाइल्स
श्रेणी 6-	टेट्रा मीथाइल लेड (इन्धन संयोजी)
श्रेणी 6.1-	विषैला (संसर्गज) सामान
श्रेणी 8	संक्षारक
श्रेणी 9	विविध खतरनाक सामान

ऐसे सभी कार्यों में , टैंक कन्टाइनरों का संचालन दिन में ही सीमित किया जाएगा और पोर्ट क्षेत्र से सुपूर्दगी लेनेवाले परेविति के अनुसार भी होगा और यह पोर्ट क्षेत्र में अधिक समय तक निक्षेप नहीं किया जाएगा ।

- (iv) पोर्ट की सुरक्षा का उत्तरदायित्व उप संरक्षक या पोर्ट की जिस अधिकारी पर निर्भर है या पोर्ट के खतरनाक कार्गों के नियंत्रण के लिए विशेष रूप से नामित प्राधिकृत अधिकारी कन्टाइनर्स के खतरनाक वस्तुओं के चढ़ाने तथा उतारने की अनुमति दी जाती है ।

7. अग्रिम अधिसूचना

- (i) जहाज : पोर्ट के प्राधिकारियों को जहाज के आने के 48 घंटे पहले मास्टर या जहाज के मालिक या एजन्ट को सूचना देना है कि दूर से खतरनाक कार्गों आ रहा है तथा पोर्ट में इसको खासी करना है ।

पहुँचे हुए लोदित या खतरनाक कार्गों के उद्देश्य के बारे में एजन्ट या प्रेषक या परेविति आवेदन पत्र की 3 प्रतियाँ उप संरक्षक को 48 घंटे पहले देना चाहिए जिसमें वस्तुओं के पूरे विवरण तथा उनके रासायनिक नाम आई एम ओ कोड नं सहित देना है ।

आवेदन पत्र की एक एक प्रति संलग्नक सहित उप संरक्षक, कन्टाइनर टर्मिनल प्रबन्धक तथा यातायात प्रबन्धक को देना है । सूची में पूरा विवरण यानी पूरा/तकनीकी नाम, मात्रा, पैकिंग की विद्या, आई एम ओ बर्गीकरण, जानकारी है तो अन्य विवरण आदि । इस सूची में शामिल हुए बर्दों की संख्या आगे पत्राचार की सुविधा के लिए रखा गया है । ज्वलनशील द्रावकों की परमिट के लिए आवेदन, पेट्रोलियम सहित पेट्रोलियम अधिनियम में प्रतिपादित किया है जिसमें निम्न सूचना निहित है ।

ऐसे द्रावकों ज्वलनांक तथा ये पानी के साथ मिला जाएगा या नहीं ।

इन दस्तावेजों के अलावा जहाज के कार्गों माल सूची के एक प्रतिलिपि उप संरक्षक को तथा

कन्टाइनर टर्मिनल प्रबन्धक को परिवहन कार्यों कितने खतरनाक माल को वहन करता है, उसके संबंध में सूचना इकट्ठा करने के लिए सहायक होगा।

(ii) निर्यात : कन्टाइनर द्वारा खतरनाक निर्यात वस्तुओं के उद्देश्य के बारे में पोर्ट प्राधिकारियों को 48 घंटे सुपूर्दगी के पहले दिया जाना है तथा स्टाफ करनेवाले खतरनाक कन्टाइनरों के पोर्ट में आने के पहले उप संरक्षक से अनुमति प्राप्त करना है।

(iii) परिवहन: भारतीय पोर्टों में खतरनाक वस्तुओं के उतारने तथा चढ़ाने के संबंध में नियंत्रण तथा सीमाएं हैं वही परिवहन कार्यों के संबंध में भी लागू है।

8. लंगर डालना

निश्चित बर्थ पर पोर्ट प्राधिकारियों द्वारा अनुमति प्राप्त करने के बाद भी खतरनाक कार्यों जहाज़ को लंगर डाला जा सकता है।

9. पोर्ट प्राधिकारी खतरनाक /जोखिम वस्तुएं निम्न प्रकार सुरक्षित रखा सकता है :

(क) विशेष स्थल में अलग कन्टाइनरों में खतरनाक वस्तुओं को रखने के उद्देश्य में निर्मित कन्टाइनरों में आग्निशमन तैयारियों सहित सुरक्षित रखा जाना है।

(ख) पार्किंग यार्ड में आई एम डी जी कोड सहित उचित अलगाव के साथ कन्टाइनरों को सुरक्षित रखा जाए। (पृथक्करण सारिका परिशिष्ट 'क' में दिया है - जो आई एम डी जी या आई एम सी ओ कोड के पृथक्करण रीति के अनुसार है परिशिष्ट 'ख' में टायर माउन्टड क्रेन सहित कन्टाइनर पार्किंग यार्ड है)।

पोर्ट अधिकारी उचित पृथक्करण योजना जो कार्यों के वर्गीकरण तथा टर्मिनल में संभालन संबंधी है, को तैयार कर रखना है।

10. कन्टाइनर के स्टर्फिंग तथा डीस्टर्फिंग

(i) पोर्ट प्राधिकारी कन्टाइनर डिपोट कन्टाइनर भाड़ा स्टेशन को खतरनाक वस्तुओं के संभालन के बारे में रूपरेखा दिया जाना है। कन्टाइनेर्स के संभरण में उपर्युक्त पैरा 9 के अनुसार होगा। उप संरक्षक से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही स्टर्फिंग तथा डिस्टर्फिंग प्रचालन किया जाता है। स्टर्फिंग तथा डिस्टर्फिंग प्रचालन के लिए आई एम ओ का अनुकरण करता है। भाड़ा कन्टाइनर में खतरनाक वस्तुओं के पैकिंग के लिए सहायता आई एम डी जी कोड (परिशिष्ट - 'ग') की धारा 12 और 13 में होगा।

स्टर्फिंग तथा डिस्टर्फिंग स्ट्राक यार्ड के साभिप्य में 30 मीटर के अन्दर में है तो उस पर ध्यान देना है।

(ii) स्टर्फिंग के पहले : (क) खतरनाक माल के कन्टाइनरों का डीस्टर्फिंग बहुत श्रद्धा से करना चाहिए जो कि परिवहन के समय माल को कोई क्षति न पहुँचा जाए। माल के गुणों से संबंधित ध्यान दरवाज़ा खोलने के पहले ही मन में होना चाहिए। उदाहरण के लिए कन्टाइनर के सामानों के अनुसार रिसाव के कारण विषैला, ज्वलनशील या विस्फोटक आदि के लिए असुरक्षित सान्द्रता या समृद्ध ऑक्सिजन का वातावरण पैदा होने की संभावना है। अगर कोई क्षति पहुँचने की सूचना है या ऐसी स्थिति आई है, कन्टेनर के डीस्टर्फिंग शुरू होने के पहले ही विशेषज्ञ की सलाह खोजना चाहिए।

(ख) कन्टाइनर में खतरनाक माल, विशेषतया विषैला सामान है तो डिस्टर्फिंग शुरू होने के पहले कन्टाइनर वायुसंचार किया जाएगा। अर्थात् पर्याप्त अवधि के लिए दरवाज़ा खुला जाएगा।

(ग) खतरनाक माल का डीस्टर्फ करने के बाद यह सुनिश्चित करें कि कोई भी खतरा अवशेष न रहे। इसके लिए विशेष सफाई की आवश्यकता है, विशेषतया अगर विषैला है तो स्लिपेज उत्पन्न होने का संदेह है। जब यह संतोषजनक होता है कि कन्टाइनर में कोई भी खतरा नहीं है, तब खतरनाक सामान का लेबल दूर किया जाएगा।

- घ) काम चलते बतक धूपपान निषिद्ध होगा ।
- ङ) उचित जीवन सुरक्षा उपाय लिए जाएंगे ।
- च) पाकेज की जाँच की जाए, तथा कन्टाइनर में टूट-फूट, चूकर निकली या चोकरयुक्त पाकेज देख पायें तो उसे स्टाफ नहीं किया जाएगा । दगयुक्त पाकेज कन्टाइनर में पहले पैक नहीं करते हैं। यह तो सुरक्षित एवं स्वीकार योग्य मालूम होने के बाद ही इसका पैकिंग होता है । जल या अन्य चीजों सहित पैकेज को कन्टाइनर में पैकिंग करने के पहले अलग करते हैं ।
- छ) कार्गो यदि पालटाइज्ड या इस्तेमाल किया है उनको सुसंबद्ध तथा सुरक्षित रखना है कि अन्य पाकेजस में कोई क्षति न पहुँचा जाए । सामान को एकत्र करने के लिए इस्तेमाल किए बोन्ड को यूनिटाइसड वस्तुओं के साथ सुसंबंध करना है तथा वायु के साथ संपर्क होने से उसकी शक्ति को प्राप्त करने योग्य यानी ताप, सूज के ऊर्जा आदि से सामना करने की शक्ति हो ।
- ज) किसी भी उपकरण या मशीनरी के लिए इलक्ट्रिक शक्ति का उपयोग करें जहाँ कन्टाइनर सुरक्षित स्टर्फिंग तथा डीस्टर्फिंग किया जाता है, मशीनरी के इलक्ट्रिक सिस्टम से कोई खतरा न पहुँचा जाए ।
- i) नौवहन के पहले कन्टाइनर जिसमें खतरनाक कार्गो ताप नियंत्रण में रखा है उसका परीक्षण करना है तथा प्रचालन के पहले मशीनरी उचित परिस्थिति में है इसको जाँच करना है । निरीक्षण का एक रिपोर्ट सुरक्षित रखना चाहिए ।

iii) स्टर्फिंग तथा सेकुरिंग :

संभालते समय विशेष ध्यान देना चाहिए कि पाकेजस तथा रिसप्टकिल्स में कोई क्षति नहीं है । क) संभालते समय कार्गो के पाकेज में कोई क्षति पहुँचा जाए तथा उससे वस्तुएं बाहर निकल जाए, उस क्षेत्र को शून्य करना है तब तक कि संभावित खतरनाक को समझा जाए । (ख) पोर्ट के परिसर पर पुनः पैकिंग मत करना चाहिए । खतरनाक कार्गो से कोई लीक पहुँचा जाए तथा जिसे विस्फोटक, ज्वलन, विषैली या उसी तरह के खतरनाक पहुँचा जाए तो व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर बदल दिया जाए तथा संबंधित संगठन (अग्निशमन केन्द्र, चिकित्सा केन्द्र), प्रदूषण नियंत्रण संगठन आदि को आवश्यकतानुसार सूचना दिया जाए ।

(ग) प्रतिकूल वस्तुओं के साथ कन्टाइनर में खतरनाक वस्तुओं को स्टाफ नहीं किया जाता । आई एम डी जी कोड में इसके सामान्य तथा विशेष प्रकृति के संबंध में निर्देश दिया गया है ।

टिप्पणी : कुछ मामलों में एक ही श्रेणी के सभी वस्तुओं को प्रतिकूल भाव के कारण एक ही कन्टाइनर में स्टाफ नहीं किया जाता । उदाहरण के रूप में पेरॉक्साइड तथा पेरमांगनेट, ये दोनों ओक्सिडाइजिंग एजेंट है (श्रेणी 5.1) जो भी हो खतरनाक अवस्था में इन दोनों में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है ।

(घ) खतरनाक वस्तु खराबी से क्षति पहुँचा जाए या गंध या अन्य उत्पादनों के सम्मिश्रण से वही कन्टाइनर में स्टाफ नहीं किया जा सकता जिससे कि ये वस्तुएं क्षति पहुँचाने योग्य हो ।

ङ) खतरनाक कार्गो विशेषतः श्रेणी- 6.1(विषैली) तथा श्रेणी 8 (क्षयकारी) को संभालते समय सभी तरह के आहार तथा पेय को निषिद्ध किया गया है ।

च) व्यक्तिगत पैकेज के संबंध में विशद रूप में विशेष अनुदेश पर ध्यान देना ज़रूरी है । उदाहरण 'प्रोटक्ट फ्रम फ्रोस्ट' से लेबल किए मालों को कन्टाइनर के दीवार से दूर रखना है ।

माल 'दिस वे अप' लेबल किए मालों को तदनुसार पैक किया जाना है । जब खतरनाक वस्तुएं कन्टाइनर के एक भाग में रखा जाए तो उसे ऐसा स्टाफ करना है कि बाह्य से ही उसको देख सकें ।

अंकन तथा लेबलिंग

i) कन्टाइनरों को प्रेषण के पहले मुद्रण किया जाना है । विशेष प्रचालक की अनुमति के बिना उन्हें ताला नहीं डाला जा सकता । इस प्रकार की अवस्था में एक ताला ज़रूर सुरक्षित करना चाहिए ।

ii) कन्टाइनर जिसमें खतरनाक वस्तुएं स्टाफ किया है उसमें खतरनाक आई एम ओ कोड क्लास लेबल्स

(प्लकार्ड्स) रखा गया है जिसका आकार 250 एम.एम. X 250 एम.एम. । आई एम ओ कोड की आवश्यकता जहाँ नहीं है, वहाँ 4 लेबल्स(प्लकार्ड्स) स्पष्ट स्थल में दोनों पार्श्व में एक तथा अन्त में एक । कन्टाइनर के पार्श्व के लेबल्स इस प्रकार रखना चाहिए कन्टाइनर के दरवाजा खोलते समय देख न पाते ।

iii) कन्टाइनर में खतरनाक वस्तुओं के तकनीकी नाम भी होना अनिवार्य है ।

iv) रेल तथा परिवहन प्राधिकारियों के लिए आवश्यकतानुसार लेबल्स भी दिया जाना है ।

12. स्टर्फिंग प्रमाण पत्र

कन्टाइनर में खतरनाक कार्गो के स्टर्फिंग के लिए उत्तरदायी को 'कन्टाइनर स्टर्फिंग प्रमाण पत्र' जिसमें प्रमाणित किया जाना कि निम्न प्रावधान के साथ यह चलता है ।

i) कन्टाइनर साफ, सूखा तथा सामान को वहन करने योग्य है ।

ii) कन्टाइनर में प्रतिकूल वस्तुओं को स्टफ नहीं किया जाता ।

iii) सभी पाकेजस को बाह्य रूप में परीक्षण करना है कि कोई क्षति है या सूखा तथा साउण्ड पाकेजस को ही पैक करना है ।

iv) कन्टाइनर में सब पाकेज अच्छी तरह स्टफ करना है तथा सुरक्षित भी रखा जाना चाहिए ।

v) कन्टाइनरों तथा पाकेजों को अच्छी तरह अंकित करना लेबल किया जाना है ।

vi) कन्टाइनर की खतरनाक वस्तुओं को नौवहन के लिए विशेष स्वीकृति प्राप्त किया है ।


vii) खतरनाक वस्तुओं के प्रेषक को हर एक भागलों में एक खतरनाक कार्गो घोषणा दिया जाना है कि समुद्री यात्रा के ये कार्गो उचित रूप में पैक किया है ।

viii) कन्टाइनर के साथ कन्टाइनर स्टर्फिंग प्रमाण पत्र भी भेजा जाना चाहिए ।

ix) कार्गो के स्टर्फिंग के लिए उप संरक्षक की अनुमति प्राप्त किया गया है ।

13. स्टर्फिंग/डीस्टर्फिंग के लिए खतरनाक /जोखिम मालवाले कन्टाइनरों की स्वीकृति पर सामान्य परामर्श

खतरनाक माल के कन्टाइनरों का डीस्टर्फिंग बहुत श्रद्धा से ही करना चाहिए कि जो कि परिवहन के समय माल को कोई क्षति न पहुँचा जाए । दरवाजा खोलने के पहले ही माल के गुणों से संबंधित ध्यान रखना चाहिए । उदाहरण के लिए कन्टाइनर के सामानों के अनुसार रिसाव के कारण विषैला, ज्वलनशील या विस्फोटक आदि के लिए असुरक्षित सान्द्रता या समृद्ध आक्सीजन का वातावरण पैदा होने की संभावना है । अगर कोई क्षति पहुँचने की सूचना है तो या ऐसे स्थिति आयी है कन्टाइनर के डीस्टर्फिंग शुरू होने के पहले ही विशेषज्ञ का सलाह लेनी चाहिए ।



- i) कन्टाइनर में खतरनाक माल, विशेषतया विषैला सामान को डीस्टर्फिंग शुरू होने के पहले कन्टाइनर वायु संचार किया जाएगा अर्थात् पर्याप्त अवधि के लिए दरवाजा खुला जाएगा ।
- ii) खतरनाक माल का कन्टाइनर डीस्टर्फ करने के बाद यह सुनिश्चित करें कि कोई भी खतरा अवशेष न रहे । इसके लिए विशेष सफाई की आवश्यकता है, विशेषतया अगर विषैला है तो स्लिपेज उत्पन्न होने का संदेह है । जब यह संतोषजनक होता है कि कन्टाइनर में कोई भी खतरा नहीं है, तब खतरनाक सामान का लेबल दूर किया जाएगा ।
- iii) अगर कोई कन्टाइनर में ताप की सूचना मिलती है तो यह एक सुरक्षित स्थान में रखकर अग्निशमन विभाग को तुरन्त ही सूचना दी जाएगी । इस पर श्रद्धा रखना चाहिए कि प्रश्न में पड़े माल के लिए उपयोग किए जानेवाले अग्निशमन रीति उचित है या नहीं ।
- iv) इस विषय पर ध्यान आकर्षित किया जाता है कि खाली करने के बाद सभी तरह के मालों के परिवहन के लिए साफ एवं उचित कन्टाइनर वापस देने को प्रेरित नियमित रूप से उत्तरदायी है । खतरनाक, विषैला या अप्रिय माल के परिवहन के लिए ही यह विशेष रूप से लागू है ।

14. खतरनाक या जोखिम मालों का डीस्टर्फिंग

- i) पोर्ट में कन्टाइनर पहुंचने के पहले ही प्रचालक द्वारा उक्त पोर्ट अधिकारी को खतरनाक माल के आयात की अधिसूचना देना है ।
- ii) प्रचालक या कन्टाइनर खाली करने के पहले दस्तावेज तैयार करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा आयात माल दस्तावेज के साथ एक खतरनाक सामानों का स्टाम्प भी पृष्ठांकित करना चाहिए ।
- iii) खतरनाक माल के कन्टाइनरों का डीस्टर्फिंग बहुत श्रद्धा से ही करना चाहिए । जो कि परिवहन के समय माल को कोई क्षति न पहुंचा जाए । माल के गुणों से संबंधित ध्यान दरवाजा खोलने के पहले ही मन में होना चाहिए । अगर कोई क्षति पहुंचने की सूचना है तो कन्टाइनर के डीस्टर्फिंग शुरू होने के पहले ही विशेषज्ञ का सलाह लेना चाहिए ।
- iv) माल के डीस्टर्फिंग एवं पैकिंग के बाद इसकी श्रेणी के अनुसार अलग करके उचित भंडारण क्षेत्र में रखना चाहिए । अंकन, लेबल या पैकिंग की रीति में कोई भिन्नता है तो निरीक्षक को रिपोर्ट करना चाहिए और प्रचालन कंपनी को यथाशीघ्र सलाह दिया जाएगा ।
- v) कई श्रेणियों के भंडारण क्षेत्र शुद्ध रूप से दिखाया जाएगा और पैकिंग उचित है तो एक बाहरी स्टोवेज भी होगा । हमेशा परिवहन शेर में खतरनाक सामान सामान्य माल से दूर रखा जाएगा ।
- vi) आयात खतरनाक माल का निष्कासन शीघ्र ही किया जाएगा ।
- vii) कन्टाइनर गैर-जोखिम घोषित कर सकता तो सभी खतरनाक माल लेबल दूर किए जाएंगे ।

15. एक निर्धारित क्षेत्र में खतरनाक माल की कुल मात्रा पाँच कन्टाइनर भार से अधिक न होगा ।

16. अग्नि शमन :

i) खतरनाक/जोखिम माल के कन्टाइनर रखने के निर्धारित क्षेत्रों में विशेष अग्नि शमन व्यवस्थाएं बनायी जाएगी । इसमें :-

(क) उचित रूप से सुरक्षित एवं पूर्ण प्रचालन व्यवस्था में राष्ट्रीय या स्थानीय विनियमों के लिए ज़रूरी सभी अग्नि शमन उपकरणों की व्यवस्था ।

(ख) आपात कार्यों की उचित सूचना की व्यवस्था और ऐसे कार्यों का नियमित प्रयोग ।

(ग) कन्टाइनर तल एवं स्थानीय अग्नि शमन वाहिनी के बीच अच्छा संपर्क । अग्नि शमन विभाग की सेवा मिलने के लिए हमेशा पर्याप्त प्रबन्ध ।

(घ) अच्छे परिष्कार एवं सफाई । उदाहरणार्थ तेल का पैन्त एवं कुनई मिलाने से ज्वलन का स्रोत मिलता है । रद्दी माल का ढेर ज्वलित होता है । निभार का पाइलस अग्नि फैलाने में सहायक है ।

(ङ) घूँघ्रपान, असुरक्षित या बुरी तरह रखे गए बिजली इन्स्टलेशन या मरम्मत उपकरण जैसे ज्वलन के स्रोत न्यूनतम बनाने के लिए उचित ध्यान दिया जाएगा ।

(च) मशीनों और उसके प्रचालन में उचित श्रद्धा होना चाहिए विशेषतया इंधन लगाने के समय ।

(छ) उसी प्रदेश में अग्नि शमन उपकरणों के लिए प्रवेश रखा जाएगा और हमेशा बाहर से आपात वाहनों को आने के लिए एक रास्ता सुरक्षित रखेगा ।

ii) विशेष उपकरण

(क) पर्याप्त एवं उचित इवसन उपकरण उपलब्ध किया जाएगा और तुरंत सहायता मिलने के उद्देश्य से प्रशिक्षण दिए गए व्यक्तियों को कार्मिक रूप से हानिकार धुआं द्वारा प्रभावित किया जाए ।

(ख) सुरक्षित आवरण जैसे रबड बूट्स एवं ग्लोस तथा एप्रन एवं ऑयलस्किन सहित विखंडित साधनों के उपयोग के लिए पर्याप्त किए जाएंगे ।

(ग) विखंडित द्रव का फैलाव न्यूनतम बनाने के लिए जड़ सामानों का पात्र पर्याप्त किया जाएगा ।

(घ) अगर कोई प्रश्न उठता है तो आपात विभाग की सेवा मांगने की आवश्यकता है ।

iii) प्रदीपन :

(क) जिधर या जब भी हो खतरनाक सामानों का संचालन करते समय या खतरनाक सामानों के समान अन्य सामानों का संचालन करते समय पर्याप्त एवं ज्वालासह प्रकाश उपलब्ध किया जाएगा ।

(ख) यह ध्यान दिया जाएगा कि कृत्रिम प्रकाशन में लेबलों का रंग बदल जाए ।

17. यदि कोई व्यक्ति पूर्वोक्त व्यवस्थाओं या आदेशों का उल्लंघन करता है तो 10,000 रु. तक का रकम देने का दंड दिया जाएगा और यदि उल्लंघन या पराजय कई बार होता है तो अपराध के लिए प्रतिदिन 1000 रु. के रूप में देना पड़ेगा। हर एक मामले पर रकम की मात्रा के बारे में अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

क्रियोजन सारणी

परिशिष्ट (क)

	1.4	3.1											
	1.5	2.1	2.2	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1	7	8
विस्फोटक	14	2		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ज्वलनशील गैस	1.5	2		X	2	2	1	2	1	2	4	X	2
गैर ज्वलनशील गैस	2.1												
ज्वलनशील द्रव	2.2	1	X		2	2	X	1	X	X	2	X	1
गैर ज्वलनशील द्रव	3.1	2	2	2			2	2	2	2	3	X	2
ज्वलनशील धन	3.2	2	2	2			1	2	2	1	3	X	2
गैर ज्वलनशील धन	3.3	2	1	X	2	1		1	1	1	2	X	2
स्वतः ज्वलनशील सामान	4.1	2	2	1	2	2	1		1	2	2	X	2
गीले होने पर खतरनाक सामान	4.2	2	1	X	2	2	1	1		2	2	X	2
आक्सिडाइजिंग सामान	4.3	2	2	X	2	1	1	2	2		2	1	1
ओरगैनिक पेरोक्साइड	5.1	2	4	2	3	3	2	2	2	2		1	2
विष	5.2	2	2	2	3	3	2	2	2	2		1	2
रेडियो आक्टिव सामान	6.1	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1		X
संक्षारक	7	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	X	
विविध खतरनाक सामान	8	2	1	X	1	1	1	1	1	2	2	X	2
	9												

सारणी की संख्या अगले पृष्ठ में निर्धारित की गई है

(क.पृ.उ.)

पूर्व पृष्ठ के सारणी की संख्या को निम्न प्रकार बताया गया है :

आई एम डी जी कोड परिभाषा

कन्स्ट्रक्शन वेस विवरण

- | | | |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | दूर पर | : परस्पर स्पर्श के बिना या एक दूसरे से ओवरस्टोकिंग द्वारा |
| 2. | अलग से | : 3 मीटर (10 फीट) दूर से, नहीं तो अग्नि प्रतिरोधक टीबार से |
| 3. | पूर्ण विभाजन द्वारा अलग किया गया | : 3 मीटर (10 फीट) दूर से, नहीं तो अग्नि प्रतिरोधक दीवार से |
| 4. | लंबाई से विभाजन को अलग किया है | : कन्स्ट्रक्शन वेस के विभिन्न अनुभागों को रोड या फायर ब्लाक से या 2.5 मीटर से अलग किया है (80 फीट अलग से) |

X सामान्य विरोजन को सिकारिया नहीं किया है : यदि कोई शक है तो आई एम डी जी कोड को देखें । विशेष पदार्थ के लिए रखा गई नीति का भी विचार ।

1. निम्न मार्गदर्शन के अनुसार इमारत के बाहर तथा अन्दर के बीच भंडार स्थल का चयन करना चाहिए ।

1.1. समुद्री नियम के अनुसार भंडारण का स्थल चयन के हेतु पर इमारत के अन्दर होना है नहीं तो इसी उद्देश्य के लिए निर्मित हो ।

1-2 सारणी :

आई एम सी ओ क्लास

	विवरण	भंडार
1.4	सुरक्षित युद्धोपकरण	अन्दर-ताला बंधित
1.5	बहुत खर पदार्थ	अन्दर-ताला बंधित
1	सुरक्षा के अलावा युद्धोपकरण एवं क्लास 1.5	विशेष तैयारी के बिना संभारित नहीं किया जा सकता
2	द्विधित गैस -प्लवनशील -विषैली -जड़ -छोटे सिलिन्डर (उदा: लाइटर फ्युबल)	बाहर बाहर दोनों में से एक अन्दर
3	ज्वलनशील ब्रावक	
3.1	निम्न एफ.पी. 10° सेन्टीग्रेड (0° एफ)	बाहर बाहर थोड़ी मात्रा में
3.2	मध्य एफ पी . 18° से 23° सेन्टीग्रेड तक (0° -- 73° एफ)	अन्दर
3.3	उच्च एफ.पी. 23° सेन्टीग्रेड- 61° सेन्टीग्रेड (73° - 141° एफ)	दोनों में से एक
4.1	ज्वलनशील खर पदार्थ	दोनों में से एक
4.2	तुरंत ज्वलन	बाहर(सूखा रखा जाए)
4.3	पानी के साथ संपर्क से ज्वलनशील वस्तुओं को निकलना	बाहर(सूखा रखा जाए)
5.1	आक्सिडाइसिंग वस्तुएं	बाहर बड़ी मात्रा में , थोड़ी मात्रा में (2 टन से कम दोनों में से एक)
5.2	ओरगानिक पेरोक्साइड	बाहर (शीत रूप में सुरक्षित रखना है)
6.1	विषैली (वैषिक)	दोनों में से एक (अन्य खतरनाक पदार्थों को देखें तथा तदनुसार भंडार करें)
6.2	संक्रामक	विशेष तैयारी से ही स्वीकृत किया जाए
7	रेडियो आक्टिव	परिवहन क्लास एवं एई ए सिफरिश के अनुसार
8	क्षयकारी	दोनों में से एक (क्षयकारी की डिग्री तथा खतरनाक को मानकर)
9	विविध (आवश्यक निम्न जोखिम पदार्थ न मानते हुए)	विशेष खतरनाक तथा कम मात्रा के अनुसार

परिशिष्ट 'ख'

आई एम सी ओ वियोजन

	5	4	1
		8	7

	2 जी	3	26
	2 आर		

सी एक एस

सभी खतरनाक कन्टाइनरों को हो सके तो टायर 1 में रखना है, फायर फाइटिंग उद्देश्य के लिए टायर 2 का भी उपयोग किया जा सकता है। सामान्य कन्टाइनरों को खतरनाक स्लोट का उपयोग किया जा सकता है कि सभी स्कावट को रोक सके। सभी खतरनाक कन्टाइनरों को बाहर की ओर एक दरावाजा होता है। कन्टाइनर यार्ड के संबंध में पोर्ट फायर तथा पोर्ट सुरक्षा अधिकारियों को फायर योजना तथा वियोजन योजना है तथा उसके ड्राइवर स्थिति भी बताता है। इन अधिकारियों को खतरनाक कन्टाइनर तथा पदार्थों के संबंध में जानकारी है। यदि इन अधिकारियों को स्लॉट बोर्ड (लकड़ी) में 'डी' काइंड्रिसमें कागजों सूचना देती है तो सुविधा होती है। आई में दुर्घटना में इस्तेमाल करते उपकरणों के टाइप के बारे में भी बताया गया है।

परिशिष्ट - ग

अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक सामान संहिता की धारा 12 की प्रतिलिपि एवं धारा 13 का सार

धारा 12. कन्टाइनर यातायात

12. 1.1 खतरनाक सामानों के पैकेज से भरे गए कन्टाइनरों के लिए ही इस पुस्तक की सिफारिशें लागू हैं ।
12. 1.2 कन्टाइनर यातायात में एक बड़े बाक्स, जिसमें दरवाजा, लिफ्टिंग प्वाइन्ट आदि में कई संख्या के छोटे पैकेज परिवहन के लिए संलग्न किए गए हैं । टूट के अनुसार कन्टाइनर का आकार एवं निर्माण में अन्तर होगा । कई कन्टाइनर एवं रेल वाहनों के डीमाऊडबिल भाग हैं ।
12. 1.3 खतरनाक सामानों के वहन के लिए उपयोग किए जानेवाले कन्टाइनरों को उसमें कार्यरत व्यवस्थाओं द्वारा उत्पन्न परिहार्य दबाव का प्रतिरोध करने के लिए पर्याप्त बल होना चाहिए ।
12. 1.4 सक्षम प्राधिकारियों द्वारा विशेष तौर पर अनुमोदित कन्टाइनरों में ही बल्कों में सूखी खतरनाक सामानों का वहन किया जाए ।

12. 2 अनुमोदित नौधार

12. 2.1 धारा 12. 1.4 में उपलब्ध की अलावा इस संहिता में दी गई सिफारिशों के अनुसार पैक किए गए खतरनाक सामान केवल कन्टाइनरों में ही परिवहन किया जाए ।
12. 2.2 समुद्र में यात्री जलयानों में खतरनाक सामानों से भरे गए कन्टाइनरों का परिवहन इस संहिता द्वारा अनुमति के बिना न किया जाए ।
12. 2.3 एक खतरनाक सामान अन्य कोई जोखिम सामान के साथ स्टोव नहीं किया जाएगा । यह उस सामान के बियोजन 'बाहर से' अधिक कठोर नहीं (धारा 15.8 के अनुसार) होने पर ही लागू है और परिवहन के दौरान ऐसा बियोजन कन्टाइनर के अन्दर में ही सतर्क किया जाएगा ।

12. 3 कन्टाइनर प्रमाण पत्र

12. 3.1 पैक किए गए खतरनाक सामानों के दस्तावेज के संबंध में इस संहिता की सामान्य पृष्ठभूमि की धारा 9 में दी गई अनिवार्यताओं पर ध्यान देना चाहिए ।
12. 3.2 क्षति, लीकेज या वस्तुओं की सिफ्टिंग आदि के लिए बाह्य रूप से खतरनाक सामान भरे गए कन्टाइनरों की परीक्षा करना चाहिए । किसी भी कन्टाइनर में लीकेज या सिफ्टिंग दिखाई पड़ता है तो मरम्मत करने के बिना या क्षति हुए पात्रों को दूर करने के बिना नौभरण के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

12. 4 मार्किंग एवं लेबलिंग

12. 4.1 खतरनाक सामानों से भरे गए कन्टाइनरों में इस संहिता के हर एक श्रेणी के लिए निर्धारित लेबल बाहर में एक ध्यानाकर्षी जगह में होना चाहिए ।
12. 4.2 विशेष खतरनाक सामानों की सूची या ज्ञापन (कन्वेंशन के अध्याय 7 की विनियम 5 (ग) द्वारा अनिवार्य) खतरनाक सामानों के कन्टाइनरों की सूचना एवं जहाज में उसका स्थान आदि होना चाहिए । सूची या ज्ञापन में उपर्युक्त विनियम के अन्तर्गत विवरण के अलावा हर एक खतरनाक सामान की कुल नैसर्गिक गुण दिखाए जाए ।
12. 4.3 कन्टाइनर में भरे गए हर एक पैकेज में लेबलिंग होने की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन आपात में शीघ्र ही पहचानने के लिए खतरनाक सामानों के पैकेज में ऐसा लेबल का उपयोग के लिए सिफारिश दी गई है ।

12. 5 कन्टाइनरों का स्टोवेज

12. 5.1 खतरनाक सामानों से भरे गए कन्टाइनरों का ऐसे सामानों के लिए इस संहिता में दी गई स्टोवेज अनिवार्यताओं के आधार पर वहन एवं पृथक्करण किया जाए । उदाहरण:- डेक पर स्टोविंग किए जानेवाले खतरनाक सामान एक कन्टाइनर में वहन किया है तो डेक पर कन्टाइनर का भी स्टोवेज किया जाना चाहिए ।
12. 5.2 खतरनाक सामानों से भरे गए कन्टाइनरों का वियोजन इस संहिता के अनुसार किया जाएगा । जहाज के निर्माण संबंधी कारणों से जहाँ ऐसा वियोजन संगत नहीं है वहाँ (उदा:- जहाँ कन्टाइनर डेक में बल्क हेड नहीं है) सुरक्षा के बारे में सक्षम अधिकारी सन्तुष्ट है तो इसके लिए वियोजन प्रबन्ध किए जायेंगे ।
12. 5.3 खतरनाक सामानों के पैकेज एवं कन्टाइनर के अन्य कोई सामान समुद्र यात्रा के लिए पर्याप्त रूप से बाँध एवं सुरक्षित किया जाएगा । परिवहन के समय फिटिंग्स के लिए कोई क्षति न पहुँचाने के लिए पैकेज के लोडिंग में ध्यान देना चाहिए । पैकेज के ऐसा फिटिंग पर्याप्त रूप से सुरक्षित करना चाहिए ।
12. 5.4 शीतप्रशीतक एवं ताप उपकरणों से सुसज्जित कन्टाइनर जो विषैला एवं/या ज्वलनशील स्वभाव का है, डेक पर स्टोविंग करना चाहिए । पर्याप्त वायुसंचारण एवं अन्य सुरक्षा सतर्कताएं सक्षम प्राधिकारी को संतोषजनक है तो उसका स्टोविंग एवं प्रचालन डेक के अधीन किया जाएगा ।

धारा 13 सुवाह्य टैंक

13. 1 व्यावहारिकता एवं परिभाषाएं
13. 1.1 व्यावहारिकता
13. 1.1.1 खतरनाक द्रव के वहन के उद्देश्य से दबाव शमन उपाय फिट किए गए सुवाह्य टैंकों के लिए ही

- उस धारा की सिफारिशें लागू हैं (13.1.2.1 के अनुसार) ।
- 13.1.1.2 कोई अग्निशमन और सुरक्षा सुबाह्य टैंकों का वहन करने वाले जहाजों पर अनिवार्य अन्य कोई उपकरण के संबंध में कोई भी व्यवस्था नहीं मिलायी गयी है जो ध्यान देने योग्य है ।
- 13.1.1.3 सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए जानेवाले विशेष व्यवस्थाओं के अन्तर्गत खतरनाक द्रव के वहन के लिए इस धारा में दिए गए के अलावा अन्य सुबाह्य टैंक मिलाए जाएंगे ।
- 13.1.1.4 विशेष पदार्थ के लिए खास जोखिम है तो अतिरिक्त आवश्यकताओं के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति होनी है ।
- 13.1.2 इस अनुभाग के उद्देश्य के लिए एक चलती टैंक मतलब एक टैंक जिसकी धारिता 450 लितर्स (100 गालन) या परिवहन भारी द्रावक जिसमें बाष्प दबाव के 3के.पी./से.मी.2 अबसोलुट (43 पी एस आई जी) 50° सेन्टी ग्रेड (122° एफ) की आवश्यकता है । टैंक बोर्ड पर होते समय उसकी वस्तुएं सुरक्षित नहीं होते तथा उसकी वस्तुएं उतार या चढ़ा भी नहीं सकते । भारित टैंक को जहाज को वहन करने की क्षमता होनी चाहिए ।
- 13.1.2.2 प्रचालन की स्थिति में टैंक के ऊपर की न्यूनतम गेज दबाव ही दी गई न्यूनतम संचालन दबाव है । दबाव की गणना हर एक वस्तु की सघनता तथा :
- (क) क्षयकारी के लिए भत्ता एवं
- (ख) उतारने के दबाव से परे आवश्यक सघनता
- 13.1.2.3 स्टाटिक दबाव की गणना दबाव की शुरु होने से प्रारंभ होती है तथा जहाँ तक की बुदबुदी नहीं होती है तथा दबाव का परीक्षण पानी के बल्बनाली में मुहर लगा करके निश्चित की जाती है ।
- 13.1.2.4 संबंधित सक्षम प्राधिकारियों द्वारा द्रावक के उपरितल पर ली गई तापमान के भाप दबाव के. पी./से.मी.2 (पी एस आई जी) तथा कम स्थल पर वायु तथा अन्य गैसस की उपस्थिति में हुई आंशिक दबाव से हुई कुल दबाव, तापमान से हुई द्रावक, द्रावक में वायु तथा अन्य गैसों की विलेयता और 0.35 के.पी./से.मी.2 (5 पी एस आई जी) डाइनामिक दबाव इन सबके कुल भाप दबाव को कन्टाइमेन्ट दबाव माना जाता है । किसी भी मामले में कुल कन्टाइमेन्ट दबाव 1.75 के.पी./से.मी.2 (25 पी एस आई जी) से कम नहीं होगा जहाँ वर्तमान विलेयता के लिए स्वीकार्य डाटा नहीं है, उनको अस्वीकार्य करना है ।
- 13.11 सुबाह्य टैंक के परीक्षण तथा निरीक्षण :
- 13.11.1 सक्षम अधिकारी को आवश्यक परीक्षण तथा निरीक्षण निर्माण के समय करना है ।
- 13.11.2 टैंक वस्तुओं के दबाव के लिए कारण सभी सुबाह्य टैंक, तथा सभी पैकिंग, गाल्व और अन्य उपकरणों, दबाव शमन मार्गों को छोड़कर सभी चीजों का परीक्षण करना चाहिए (टोमस सहित

अगर है तो) तथा पानी एवं अन्य द्रावक जिनके घनत्व एक सी है । 1^{1/4} बार न्यूनतम दबाव का उपयोग करते हैं । परीक्षा संक्षम अधिकारियों द्वारा निर्देशित प्रकार होनी चाहिए ।

दबाव होते समय , टैंक में कोई टूट , किसी भी भाग का नष्ट , गड़ा, या किसी भी कारण से टैंक परिवहन के लिए अनुयोज्य नहीं है , तो जो कमी है उसको निकालने के बाद ही सर्विस किया जा सकता ।

- 13.11.3 नौवहन के लिए स्वीकृत टैंक को संक्षम अधिकारी द्वारा छः महीने पहले ही निरीक्षण करना चाहिए । बाहरिक तथा आन्तरिक रूप का निरीक्षण होना चाहिए । प्रचालन में किसी कमी होनेवाले मामलों में संक्षम अधिकारी परीक्षण करना अनिवार्य है ।
- 13.11.4 टैंक तथा उनके फिटिंग्स को आन्तरिक तथा बाहरिक रूप से निरीक्षण करना चाहिए लेकिन किसी भी मामलों में 2 1/2 वर्ष से ज्यादा समय से ऊपर न हो ।
- 13.11.5 सभी दबाव रिलीफ वल्व को पुनः परीक्षण 2 1/2 वर्ष में करना चाहिए । संक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए शर्तों के अनुसार होना चाहिए ।

13.12 व हन करने टैंक में अंकन करना

13.12.1 धातु गहचान चिह्न । हर एक बहन करने टैंक में जंग से बचाने के लिए धातु का कोटिंग करना चाहिए । प्लेट में गुहर या अन्य अंकों द्वारा या निम्न प्रकार सूचना देना चाहिए । प्लेट में रेपिन्टिंग भी नहीं करना चाहिए ताकि अंकन साफ रूप से देखा जाएं

निर्माता का नाम.....
निर्माण का दिनांक.....
टैंक क्रम संख्या.....
कार्य करने के लिए दिए गए न्यूनतम दबाव.....के.पी/से.मी .(पी एस आई जी)
परीक्षण दबाव..... के.पी/से.मी .2(पी एस आई जी)
कुल पानी की धारिता.....लिटरेस(गालन्स)
अधिकतम बहन करने द्रावक का भार..... किलो (टन)
अधिकतम कुल भार..... किलो (टन)

सक्षम प्राधिकारी को नियंत्रण या पहचान परमिट
 हाइड्रालिक परीक्षण के दिनांक
 हाइड्रालिक परीक्षण के प्राधिकृत साक्षी
 टैंक डिज़ाइन किए कोड, नियम या विनियम (नाम या अन्य पहचान से).....

13.12.2 परीक्षा तिथि एवं अंकन :

- 13.12.2.1 अंतिम हाइड्रालिक परीक्षा की तिथि एवं साक्षीकृत प्राधिकारी का अंक ऊपर निर्धारित मेटल आइडेंटिफिकेशन प्लेट में शुद्ध रूप से स्टांप किया जाए ।
 13.12.2.2 धारा 13.11.4 द्वारा निर्धारित अंतिम दृष्टि सम्बन्धी परीक्षा की तिथि सक्षम प्राधिकारी को सन्तोषजनक होने की रीति से टैंक पर दृश्य रूप से सूचित की जाए ।
 13.12.2.3 विशेष उद्देश्य टैंकों में बहन करने के लिए अनुमोदित सामानों की सूचना दी जाए ।

13.13 सुवाह्य टैंकों का प्रमाणीकरण

- 13.13.1 सक्षम प्राधिकारी की अनिवार्यताओं की सूचना देनेवाला एक प्रमाणपत्र अनुमोदित निरीक्षण एजन्सी से प्राप्त कर फाइल किया जाए ।

13.14 सुवाह्य टैंकों के लिए सामान्य संचालन सतर्कताएं

- 13.14.1 इस धारा में दर्शायी गयी व्यवस्थाओं के अनुसार निर्माण एवं लीसाइन किये गये टैंकों के लिए ही निम्नलिखित सिफारिशें एवं सतर्कताएं लागू हैं (उदा: टैंक जिसमें दबाव शमन उपाय है)
 13.14.2 उक्त राष्ट्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत द्रव माल ही सुवाह्य टैंकों में बहन किया जाएगा ।
 13.14.3 यह स्पष्ट किया जाता है कि सभ्यनुसार खतरनाक सामान संहिता में हर एक सामान के प्रवेश से यह सूचना दी जाएगी कि सामान सुवाह्य टैंक में बहन किया जाएगा या नहीं और किस तरह का टैंक अनिवार्य है ।
 13.14.4 यह भी स्पष्ट किया जाता है कि खतरनाक सामान संहिता द्वारा सुवाह्य टैंकों में ऐसे सामानों का स्टोवेज के लिए हर एक अनिवार्यताएं मिलेगी और अनुमोदित पैकिंग एवं उनके स्टोवेज में कोई अन्तर है तो उसकी सूचना भी दी जाएगी ।
 13.14.5 संहिता के संशोधन पूरा करने के समय तक सुवाह्य टैंकों का स्टोवेज 13.15 की सिफारिशों के अनुसार किया जाएगा ।

13.15 सुवाह्य टैंकों का स्टोवेज

- 13.15.1 स्टोवेज की स्थिति निम्न लिखित टेबिल के अनुसार होगी । इसे छोड़कर सुवाह्य टैंकों का

स्टोवेज धारा 14 की व्यवस्थाओं के अनुसार होगा।

आई सी ओ क्लास		यात्री जहाज		माल जहाज	
		डेक पर	डेक के नीचे	डेक पर	डेक के नीचे
विस्फोटक	1	*	*	*	*
गैस	2	*	*	*	*
ज्वलनशील	3.1	निषिद्ध	निषिद्ध	अनुमोदित	निषिद्ध
द्रव	3.2	निषिद्ध 1)	निषिद्ध	अनुमोदित	निषिद्ध 1)
	3.3	अनुमोदित	निषिद्ध 1)	अनुमोदित	अनुमोदित 2)
विस्फोटक					
खर	4.1	*	*	*	*
स्वतः दहनशील					
सामान	4.2	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध 1)	निषिद्ध
गीले होने पर					
खतरनाक सामान	4.3	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध 3)	निषिद्ध 3)
आक्सिडाइजिंग					
सामान	5.1	निषिद्ध 1)	निषिद्ध	अनुमोदित 3)	अनुमोदित 3)
ओगानिक					
पेरोक्साइड	5.2	निषिद्ध 1)	निषिद्ध	निषिद्ध 3)	अनुमोदित 1)
विषैला	6	निषिद्ध 1)	निषिद्ध 1)	निषिद्ध 3)	अनुमोदित 3)
रेडियोआवर्ती					
सामान	7	*	*	*	*
क्षारक	8	अनुमोदित	अनुमोदित	अनुमोदित	अनुमोदित
विविध					
खतरनाक सामान	9	अनुमोदित 3)	अनुमोदित 3)	अनुमोदित	अनुमोदित 3)

* लागू नहीं।

1. सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किए जानेवाले विशेष व्यवस्थाओं के अन्तर्गत को छोड़कर
2. अगर एक द्वितीय लेबल द्वारा दर्शाए गए विषैला या सामान गुण नहीं है तो
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए जानेवाले व्यवस्थाओं के अन्तर्गत

13.15.2 13.15.1 के सारणी द्रावक भरे सुवाह्य टैंक के लिए लागू है। ठोस पदार्थ वहन करने टैंक के लिए (छिन्न या गीले) गैस तथा लिक्विफाइड गैस यह लागू नहीं है।

13.15.3 सारणी के अनुसार नौभरण में कोई प्रतिरोध है तो पदार्थों के विशेष प्रवेश की अनुमति दिया जाता है।

- 13.15.4 एक सुवाह्य टैंक जिसमें द्रावक है तथा विशेष प्रवेश से एक या अधिक लेबल दिखाता है उसके लिए ध्यान देना है तथा तदनुसार नौभरण करना चाहिए ।
- 13.15.5 सुवाह्य टैंक में कोई छोप या क्षति है तो टैंक के संपूर्णता में बाधा पहुँचेगी ।
- 13.15.6 सुवाह्य टैंक जिसमें वस्तुओं के अवशेष पडा हुआ है तो उसको साफ करने के बाद ही नौभरण किया जा सकता है ।
- 13.15.7 सुवाह्य टैंक में अधिक नौभरण विशेष रूप से डिज़ाइन किए जहाज़ में ही किया जाय तथा सक्षम अधिकारी की सम्मति तथा धारा 13.9.1.2 पर ध्यान देकर ही किया जाए ।
- 13.15.8 सुवाह्य टैंक बुरी स्थिति में नौवहन के लिए स्वीकार नहीं करते । टैंक में लहरों के धपेट से हाइड्रोलिक दबाव उत्पन्न होगा ।
- 13.15.9 ग्यास मुक्त खाली टैंक में वही स्थिति जो उसमें पहली चीज़ भरने की थी उसका अनुपालन करना चाहिए ।
- 13.16 सुवाह्य टैंक में वियोजन :**
- सुवाह्य टैंक जिसमें खतरनाक द्रावक है उनका वियोजन अन्तर्राष्ट्रीय मारीटाइम खतरनाक माल कोड (धारा 15 देखें) के अनुसार करना चाहिए ।
- 13.17 सुवाह्य टैंकों की सुरक्षा :**
- 13.17.1. यातायात के लिए उपबन्ध किए गए साधारण सुरक्षा उपकरणों के अलावा, अतिरिक्त सुरक्षा उपकरणों, जोकि जहाज़ के मास्टर एवं सक्षम प्राधिकारी को सन्तोषजनक हो, समुद्री यात्रा के दौरान सुवाह्य टैंकों की सुरक्षा के लिए अत्यन्त आवश्यक हो का भी पूर्णतः सुनिश्चित करना है ।
- 13.17.2. सुरक्षापूर्ण उपकरणों को मानते वक्त, 13.2.7 के घुमाव व एसिलेण्डर को भी देख लेना है ।
- 13.17.3. टैंक पर प्रदर्शित विशेष सूचनाओं का पालन करना है ।

दिनांक 27.4.89 के भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित .

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

सा.का.नि.475 (च)- महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 124 की उप धारा (i) के साथ पठित धारा 132 की उप धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा कोचिन पोर्ट ट्रस्ट (आसेध या रोक तथा जलयान की बिक्री) विनियम , 1988 का अनुमोदन करती है जो कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 123 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 31 जनवरी, 1989 और 7 फरवरी, 1989 में केरल के राजपत्र में प्रकाशित किया है तथा इस अधिसूचना के साथ अनुसूची में संलग्न किया है ।

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

अनुसूची

संख्या : बी 2/ 1633/88/एस

अधिसूचना

महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 123 की उप धारा (च) और (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के न्यासी मण्डल एतद्वारा निम्न लिखित विनियम बनाती है तथा उपर्युक्त अधिनियम की धारा 124 के अधीन केन्द्र सरकार के अनुमोदन के साथ केरल सरकार के राजपत्र में 12 जुलाई 1988 तथा 26 जुलाई 1988 के दो हफ्तों में लगातार प्रकाशित किया था ।

1. (i) **संक्षिप्त नाम :-** इन विनियमों का नाम "कोचिन पोर्ट ट्रस्ट (आसेध या रोक तथा जलयान की बिक्री) विनियम , 1988 "

(ii) **प्रारंभ :** ये सरकारी राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. विनियोग:

महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 या उसके अन्तर्गत बनाये कोई भी विनियम या आदेशों के अन्तर्गत देय दंड या दर या दोनों देनेवाले सभी जलयानों के लिए ये विनियम लागू होंगे लेकिन केन्द्रीय सरकार के या केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में आनेवाले या विदेशी राज्य में युद्ध में आनेवाले जलयानों के लिए लागू नहीं होंगे ।

3. परिभाषाएं :

इन विनियमों में संदर्भ अन्य प्रकार से अपेक्षित न हो तो ,

- i) "अधिनियम" का अर्थ महा पत्तन न्यास अधिनियम , 1963 (1963 का 38) से अभिप्रेत है ।
- ii) "उप संरक्षक" से उसी अधिकारी अभिप्रेत है जिन्होंने फिलहाल समुद्री विभाग का प्रभारी हो तथा जिनके साथ उप एवं सहायक अधिकारी भी शामिल हो कोई भी अधिकारी उप संरक्षक के अधीन में काम करते हो ।
- iii) "फार्म" का अर्थ इन विनियमों के साथ संलग्न फार्म से अभिप्रेत है ।
- iv) "दर" का अर्थ अधिनियम के अन्तर्गत अदायगी करते दर या दंड से अभिप्रेत है ।
- v) इन विनियमों के उपयोग किए गए शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो अधिनियम में उनको क्रमशः नियम किए गए हैं ।

4. आसेध या जलयानों का रोक :

1. जहाँ कोई जलयान , जिसके दर/दंड का भुगतान न किया गया हो, पोर्ट में पड़ा है उसके लिए उप संरक्षक द्वारा फार्म I में एक माँग पत्र दी जा सकती है जिसमें अदायगी न दिए गए जलयान के मास्टर से उक्त माँग पत्र की ज़ारी से सात दिनों के अन्दर सभी दर या दंड अदा करने का अनुरोध कर सकता है ।
2. उक्त माँग पत्र में बिल की प्रतिलिपि के साथ उक्त जलयान के एजन्ट या मास्टर द्वारा दिए जाने के दर या दंड का पूर्ण ब्यौर भी होंगे और इसका अदायगी बोर्ड को देय है, जो मास्टर द्वारा अदा करना है ।
3. उक्त माँग मास्टर को उपयोगी होना चाहिए और मास्टर के गैर हाज़िरी में माँग पत्र जहाज़ के मास्तूल पर चिपकाने से मास्टर के उपयोग में आया जैसा समझा जाएगा ।
4. भुगतान नहीं किया गया वेसल के मास्टर, उसको दिए गए माँग पत्र में सूचित समय के अन्दर दर या अर्थ दंड का भुगतान नहीं किया गया तो आसेध या रोकने का हक बोर्ड को होता है । इसके साथ वेसल के रस्से परिधान एवं अन्य उपकरण आदि भी अदायगी करने तक पोर्ट के पास रखा जा सकता है । साथ ही वेसल के आसेध या रोक करने के अवधि में किसी प्रकार के पोर्ट को प्राप्त होने का रकम अदायगी करना शेष है तो उसका भी भुगतान करने तक पोर्ट के पास ये सामान रख सकता है ।

5. अनदायगी जलयान के रोक या आसेध के लिए उप संरक्षक द्वारा फार्म II में वारंट गिरफ्तारी जारी किया जाएगा जिसमें देय रकम की व्यक्त सूचना देने के साथ साथ यह भी सूचित किया जाए कि बोर्ड को देय सभी ढ/अर्थ दंड एवं लागत की अदायगी करने तक चेसल का आसेध या रोक जारी किया जाए ।
 6. (क) वारंट गिरफ्तारी जलयान के मास्टर को दिया जाएगा और इसका एक प्रतिलिपि जलयान के मस्तूल पर चिपकाया जाएगा ।
(ख) यदि मास्टर हाज़िर नहीं है या वारंट स्वीकार करने में इन्कार करता है तो जलयान के मस्तूल पर चिपकाये गये वारंट की प्रतिलिपि मास्टर के काम में आया जैसा समझा जाएगा ।
 7. जलयान का आसेध या अवरुद्ध के बाद पाँच दिनों के अन्दर बोर्ड के हितानुसार मालिक/मास्टर या जलयान के एजेंट द्वारा उक्त ढ/अर्थ दंड या आसेध या अवरुद्ध का मूल्य या उसके रख-रखाव संबंधी मूल्य की अदायगी न किया है तो जलयान या उसके आसेध या अवरुद्ध सामानों की बिक्री के लिए बोर्ड को उत्तरदायित्व है ।
 8. यदि एक विदेशी जलयान जो एक आदेश के अनुसार आसेध या अवरुद्ध रखा जाए, ध्वज देश के एम्बसी एवं जल भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार को भी सूचित किया जाए ।
5. आसेध या अवरुद्ध जलयान की बिक्री :
- (1) अवरुद्ध जलयान के आरक्षित बिक्री मूल्य का निश्चय करने के लिए स्वीकृत सर्वेक्षक द्वारा निश्चय किए गए जलयान के संबंध में उप संरक्षक द्वारा एक मूल्यांकित सर्वेक्षण करना चाहिए ।
 - (2) जलयान एवं रस्से, परिधान एवं उपकरण की बिक्री के पहले ही उप संरक्षक को महा निदेशक जहाज़रानी से अनुमति मिलना चाहिए ।
 - (3) जलयान की बिक्री, सामानों की बिक्री अधिनियम, 1930 की उपबन्धों एवं निविदा नोटिस में दिए गए शर्तों के अनुसार की जाएगी ।
 - (4) फार्म III में दिए गए प्रेस विज्ञापन के अनुसार कम से कम चार अखबारों में जिनमें एक हिन्दी और एक प्रादेशिक भाषा का हो, मुहरबंद निविदा आमंत्रित किया जाएगा । इसमें निविदा स्वीकार करने की अंतिम तारीख भी सूचित की जाएगी ।
 - (5) एक निर्धारित समय, जो उप संरक्षक द्वारा तय किया जाएगा, के दौरान प्रेस में बिक्री नोटिस प्रकाशित करने के बाद प्रत्याशित खरीददारों को जलयान का निरीक्षण करने के लिए अनुमति दी जाएगी ।
 - (6) हर एक निविदा के साथ उप संरक्षक द्वारा तय किए गए बयाना निक्षेप का बैंक ड्राफ्ट भी होगा ।
 - (7) नियत तारीख तथा समय के बाद प्राप्त निविदा अस्वीकृत किया जाएगा ।

- (8) उप संरक्षक द्वारा निश्चित तारीख और समय पर निविदाकारों की उपस्थिति में मुहरबंद निविदा खुला जाएगा और उस समय कोई निविदाकार अनुपस्थित है तो कारण बताकर खुले बिना उनकी निविदा अस्वीकृत की जाएगी ।
- (9) स्वीकृत निविदाकार को प्रस्ताव की स्वीकृति संबंधी सूचना दी जाएगी ।
- (10) निविदा की स्वीकृति के बाद पाँच दिनों के अन्दर निविदाकार द्वारा स्वीकृत रकम का 25% अदा करना है और शेष रकम उस तारीख से 15 दिनों के अन्दर अदा करना है । निविदा मूल्य के अलावा उप संरक्षक द्वारा निश्चित किए सुरक्षा निक्षेप के लिए रूपये/बैंक गैरेंटी भी निविदाकार देना है जो समाप्ति के बाद तीन महीने के अवधि के अन्दर वापस दिया जाएगा । जो भी हो, उस निक्षेप पर पोर्ट द्वारा कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा ।
- (11) निविदा की स्वीकृति से पाँच दिनों के अन्दर स्वीकृत रकम के 25% की अदायगी में चूक होने पर जब तक दूसरा आदेश अपेक्षित न हो, बिक्री स्वतः रह हो जाएगी और बचाना निक्षेप का जुर्माना दिया जाएगा और जलयान की स्वीकृत निविदाकार के जोखिम पर, पुनः बिक्री की जाएगी ।
- (12) किसी कारण से 30 दिनों के अन्दर बन्दरगाह से जलयान दूर नहीं किया जाता है तो नियमित प्रभार के साथ अतिरिक्त बर्ष भाड़ा, जो पोर्ट दर में दिया गया है, का उद्ग्रहण किया जाएगा ।
- (13) किसी भी परिस्थिति में, जब तक उसी प्रकार करने के लिए विशेष रूप से अनुमति न दी हो, पोर्ट सीमाओं के अन्दर या बन्दरगाह के अन्दर स्थित जहाज का टूट-फूट या विघटन करने के लिए उपभोक्ता को अनुमति नहीं दी जाएगी ।

6. जलयान के खरीददार की दायिताएं :

- (1) निविदा स्वीकृत करने की तारीख से सभी अर्थदंड/दर और अन्य प्रभार खरीददार के खाते में आ जाएगा ।
- (2) निविदा की स्वीकृति पर 30 दिनों के लिए पोर्ट को प्राप्य राशि, शुल्क एवं उस अवधि के लिए उप संरक्षक द्वारा प्राकलित प्रभार भी पोर्ट के साथ खरीददार निक्षेप करना है ।
- (3) सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, बिक्री कर, स्थानीय कर आदि खरीददार के खाते में रखा जाएगा और उक्त प्राधिकारियों को खरीददार द्वारा ऐसे ड्यूटी एवं कर से संबंधित रकम अदा करना है । पोर्ट द्वारा जलयान को निकासी के लिए अनुमति देने से पहले ऐसे भुगतान का रसीद दिखाना चाहिए ।
- (4) (क) निविदा स्वीकृत करने के बाद तुरंत एक प्रमाणपत्रित मास्टर, अधिकारियों एवं प्रमाणपत्रित इंजीनियर्स के साथ पर्याप्त संख्या का कर्मीदल, जलयान बन्दरगाह के अन्दर रखते समय, खरीददार द्वारा जलयान के मार्निंग एवं अनुरक्षण के लिए सभी प्रबन्ध बनाए रखना है ।

- (ख) जलयान के मारिग एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रबन्ध बनाने में खरीददार असमर्थ है तो पोर्ट अधिकारियों द्वारा उस उद्देश्य के लिए उचित व्यक्तियों को नियुक्त करके कार्य किया जाएगा और इससे संबंधित सभी यथोचित खर्च खरीददार से वसूल किया जाएगा ।

.....

फॉर्म संख्या : I

(विनियम 4 (1) देखिए)

सेवा में

मास्टर,
एम. वी. / एस. एस.

विषय:- एम.वी. दर/ दंडस्वरूप-दर के गैर अदायगी/दंडस्वरूप - तत्काल अदायगी के लिए नोटीस जारी करना ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त पत्र पर ध्यान दें । आपसे अनुरोध है कि निम्न दर दंडस्वरूप दिनांक..... तक, रूपये.....मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम 1963 की धारा 64 के उपबन्धों के अनुसार कोचिन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा बनाये विनियमों एवं आदेशों के अनुसार दिनांक के पहले अदा किया जाए ।

1.....2.....3.....पोर्ट को देय उपर्युक्त दर/दंडस्वरूप भुगतान के बारे में वेसल के मास्टर या एजन्ट द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं ली है । आपके अधीन के वेसल सेतारीख को.....रूपये पोर्ट को देय है ।

2. आपको सूचना दी जाती है कि इस नोटीस को प्राप्त हुए 7 दिन के अन्दर उपर्युक्त अदायगी किया जाए, जिसके न होने पर मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम 1963 की धारा 64 की उपबन्धों के अनुसार जलयानों को आसेध या रोक किया जाएगा तथा उसके रस्से, परिधान तथा उपकरणों को, जलयानों के आसेध या रोक किए जाने समय तक जो रकम बोर्ड को दिया जाना है उसको अदा करने के समय तक रोक रखा जाएगा ।

भवदीय,

उप संरक्षक

प्रतिलिपि:- 1. मेसर्स. एम.बी.के.मालिक.....
2. एम.बी.जलयान के एजन्ट.....

फार्म संख्या. II

(बिनिियम 4(s) देखिए)

सेवा में

मास्टर,
एम.बी./एस.एस

विषय:- पोत परिवहन- एम.बी.दर /दंडस्वरूप- दर के गैर- अदायगी- आसेध आदेश- जारी करना ।
संदर्भ: अपने समसंख्यक पत्र दिनांक ...

.....

महोदय,

कृपया उपर्युक्त पत्र पर ध्यान दें । आपसे अनुरोध है कि दिनांकके पहले.....रूपये दर-----पोर्ट ट्रस्ट को देय दिनांक.....के पहले अदा किया जाए ।तारीख के माँग के अनुसारपोर्ट ट्रस्ट को देय उपर्युक्त दर । दंडस्वरूप के भुगतान के बारे में वेसल के मास्टर या एजन्ट द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं ली है । आपके अधीन के वेसल सेतारीख कोरूपये पोर्ट को देय है ।

बोर्ड को उपर्युक्त दर, दंडस्वरूप गैर- अदायगी के कारण मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम 1963 की धारा 64 के उपबन्धों के अनुसार वेसल एम.बी.....को एतद्वारा आसेध किया जाता है तथा जलयानों

सकते हैं अर्थात् :-

- (क) जहाँकि संरक्षक द्वारा अधिनियम के उपबन्ध या बनाए गए कोई नियम या आदेश के अधीन जारी किए गए अनुदेश या आदेशों को 24 घंटों के भीतर जलयान के मालिक, एजन्ट या मास्टर द्वारा पालन नहीं किया जाता है तो;
- (ख) जहाँकि जलयान से संबंधित अनुदेशों या आदेशों का पालन करने में इसके मालिक, एजन्ट या मास्टर या दूसरे कोई प्रभारी व्यक्ति ने अपने अधिकार या कर्तव्यों का विवक्षित तथा स्पष्ट रूप से अधित्याग किया है तो ;
- (ग) जहाँकि जलयान की स्थिति ऐसी हो कि मालिक, एजन्ट या मास्टर अनुदेश या आदेशों का पालन करने में असमर्थ हो ;
- (घ) जहाँकि ऐसी अनुदेश या आदेशों का पालन करने के लिए पर्याप्त योग्यतावाले कू के अभाव में जलयान छोड़ देना ;
- (ङ) जहाँकि कोई जलयान बिना कारण से पोर्ट क्षेत्र में लगातार तीन महीने से अधिक बेकाम पडता है तो:
- बशर्ते कि अगर छः महीनों से अधिक की अवधि के लिए लगातार जलयान बेकाम पडता है तो उप नियम (3) के उपबन्धों के अनुसार कार्रवाई लिया जाए ;
- (च) जहाँकि उक्त पोर्ट में जलयान के पडे रहने से नौसंचालन या कार्गो हस्तन या पोर्ट जलयानों को रुकावट डाल सकते हैं ;
- (3) अधिनियम की धारा 42 के अधीन उपनियम (2) के अधीन जलयान के संचालन के लागत प्रभार और व्यय के रूप में अधिनियम की धारा 42 के अधीन अग्रिम में सभी अन्य दावे जलयान के मालिक, एजन्ट के खिलाफ देय के रूप में वसूल योग्य है तथा संरक्षक इस प्रकार के जलयान को आसेध या रोकें और उसके रस्से, परिधान एवं फर्निचर या इसके आंशिक भाग और धारा 42 के सारे उपबन्ध इस प्रकार के आसेध या रोक के लिए कार्यान्वित करें !